शोध सरोवर पत्रिका

आरती, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम - 695 014, केरल राज्य।

RNI No. KERHIN/2017/7008 ISSN No. 2456-625 X

वर्ष 1 अंक 4 त्रैमासिक हिन्दी शोध पत्रिका 10 अक्तूबर 2017

मुख्य संपादक

डॉ.पी.लता

प्रबंध संपादक

डॉ.एस.तंकमणि अम्मा

सह संपादक

प्रो.सती.के

डॉ.एस. लीलाकुमारी अम्मा

श्रीमती वनजा.पी

संपादक मंडल

प्रो.एस.कमलम्मा
डॉ.जी.गीताकुमारी
डॉ.बिन्दु.सी.आर
डॉ.पुष्पम्मा.डी
डॉ.षीना.यू.एस
डॉ.सुमा.आई
डॉ.एलिसबत्त जोर्ज
डॉ.दिव्या.वी.एच
डॉ.कमलानाथ.एन.एम
डॉ.अश्वती.जी.आर
राखी.एस.आर
रंजिता राणी
पार्वती चन्द्रन
सिन्धु.वी.जे

सूचना : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं। उनसे संपादक तथा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

संपादकीय 3

भारतीय भषाओं के बीच सामंजस्यः हिन्दी का दायित्व - **डॉ.एस.तंकमणि अम्मा** 5

आंतरिक कारक, बाह्य कारक और कारक चिह्न - **प्रो.(डॉ).एन सुरेश** 9

एकता की जान है, हिन्दी देश की शान है - **डॉ.शाम्ली.एम.एम** 15

राजभाषा हिन्दी एवं देवनागरी लिपि का महत्व - **डॉ.धन्या.एल** 18

सामाजिक मीडिया की सहायता से हिन्दी का वैश्वीकरण - **विष्णु .आर.एस** 20

संघर्ष ज़ारी है..... (राजभाषा के संदर्भ में) - **के.वी.रंजिता राणी** 22

पुस्तक समीक्षा - **वनजा.पी** 26

सही उत्तर चुनें - **डॉ.पी.लता** 27

दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन और केरल की प्रतिभागिता - **डॉ.पी.लता** 29

गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी की वर्तमान स्थिति - **डॉ.के. श्रीलता** 34

हिन्दी संबन्धी महत् वचन - 39

मलयालम और हिन्दी : भाषिक एवं साहित्यिक - सांस्कृतिक समानताएँ - **डॉ.एस.तंकमणि अम्मा** 41

राजभाषा हिन्दी के पुरस्कार (चित्र) 49

लेखकों से निवेदन

भाषा, साहित्य, समाज एवं संस्कृति पर लिखी गयी स्तरीय मैलिक तथा अप्रकाशित रचनाएँ भेजें। प्रकाशनार्थ अनूदित रचनाओं के साथ मूल लेखकों से प्राप्त सहमति पत्र भी भेजें। रचनाएँ डी.वी.सुरेख ई.एन. फोण्ट में वर्ड या पेजमेकर फाइल में भेजें। रचना के अंत में अपना पूरा डाक पता, मोबाईल नंबर और ई-मेल पता भी अंकित करें। संक्षिप्त जीवन-परिचय और फोटो भी भेजें।

डॉ.पी.लता
संपादक
शोध सरोवर पत्रिका

मूल्य :	एक प्रति रु. 30/-
	वार्षिक शुल्क रु.120/-

पत्रिका के संबंध में अधिक जानकारी केलिए संपर्क करें - डॉ.पी.लता (मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी), आरती, टी.सी. 14/1592, फोरस्ट ऑफीस लेन, ई-28, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम - 695 014, केरल राज्य। फोन : 0471 - 2332468, 9946253648
ई-मेल : dr.pletha@yahoo.com

संपादकीय

पारिभाषिक शब्द - निर्माण के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केरल भाषा इंस्टिट्यूट

14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी संघ की राजभाषा चुन ली गयी। भारतीय संविधान में भाग 17, अनुच्छेद 344 (1) के अनुसार सन् 1955 में 'राजभाषा आयोग' गठित हुआ। श्री बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करने केलिए संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार रूपायित संसदीय राजभाषा समिति' के अध्यक्ष श्री गोविन्द वल्लभ पंत थे। इस समिति के सुझाव के अनुसार 1 मार्च 1960 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' की स्थापना हुई। इस समिति का एक प्रमुख सुझाव यह भी था कि पारिभाषिक शब्द निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों में समन्वय स्थापित करने और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द कोश प्रकाशित करने केलिए एक स्थायी आयोग गठित किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकविद् हो। संसदीय राजभाषा समिति के इस सुझाव के अनुसार 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति द्वारा ज़ारी किया गया आदेश था कि 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण केलिए एक स्थायी आयोग स्थापित कर दिया जाए'। इस आदेश के अनुसार डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में अक्तूबर 1961 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की स्थापना हुई। (अब यह आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के अधीन है।)

इस आयोग ने पिछले 56 वर्ष के कार्यकाल में लाखों वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का निर्माण किया और कई विषयवार पारिभाषिक शब्द कोश तैयार किये। आयोग द्वारा ग्रहण, अनुकूलन, संचयन तथा निर्माण पद्धतियों द्वारा तैयार किये गये पारिभाषिक शब्दों द्वारा भारतीय भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्रदान की गयी। आयोग ने मानविकी, विज्ञान, कृषि, चिकित्साशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर उन्हें सर्वसुगम बना दिया।

उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में राज्य भाषाओं को सक्षम कर देने के उद्देश्य से सभी राज्यों में 'राज्य भाषा संस्थानों' को स्थापित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के फलस्वरूप 16 सितंबर 1968 को केरल राज्य में 'केरल भाषा इंस्टिट्यूट की स्थापना हुई। इसके प्रथम निदेशक डॉ.एन.वी.कृष्णवारियर (बहुभाषा पंडित तथा मलयालम के लेखक) 31 मार्च 1975 तक निदेशक रहे।

भारत सरकार के शिक्षा आयोग - कोठारी कमिशन (1964 - 66) - का एक सुझाव यह था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम राज्यभाषा बननी चाहिए। इस सुझाव का पालन

करने हेतु शास्त्र विषयक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने तथा ऐसी पुस्तकों में उपयोग करने लायक पारिभाषिक शब्द - निर्माण करने का दायित्व 'राज्य भाषा संस्थानों' का हो गया। इन भाषा संस्थानों को शास्त्र ग्रंथों के निर्माण में मुख्य बाधा पारिभाषिक शब्दों की कमी ही थी।

भारत सरकार का 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' विवध कार्यक्षेत्रों में अंग्रेज़ी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के समानांतर हिन्दी शब्दों के निर्माण में कार्यरत है। आयोग द्वारा निर्मित इन हिन्दी शब्दों के समानांतर शब्दों का प्रत्येक राज्य की राज्य भाषा में निर्माण करने का दायित्व केन्द्र सरकार द्वारा 'राज्य भाषा संस्थानों' को सौंपा गया।

भारत सरकार के आयोग द्वारा निर्मित 18 अंग्रेज़ी-हिन्दी पारिभाषिक शब्द कोशों (विज्ञान - 4, इंजीनियरी -4, मानविकी -5, चिकित्साशास्त्र -2, प्रशासन -1, पदनाम -1, कृषिशास्त्र -1) में संकलित अंग्रेज़ी शब्दों के समानांतर मलयालम शब्दों का निर्माण करना केरल भाषा इंस्ट्रिट्यूट के प्रथम निदेशक डॉ.एन.वी.कृष्णवारियर का लक्ष्य था। मलयालम प्रत्येक पारिभाषिक शब्दकोश के निर्माण के पूर्व उन्होंने संस्थान में वैज्ञानिकों की द्विदिवसीय सगोष्ठी का आयोजन किया। संस्थान में डॉ.एन.वी.कृष्णवारियर के निदेशन काल में कई शब्दकोश तैयार हुए, जैसे - 'विज्ञान शब्दावली अंग्रेज़ी - मलयालम भाग -1', जिसका प्रकाशन 19 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागाँधी ने किया। 687 पृष्ठोंवाले इस ग्रंथ में वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जंतुशास्त्र आदि के कुल 40,000 शब्द समाहित हैं। इस ग्रंथ का आधार है 'आयोग' द्वारा प्रकाशित 'विज्ञान शब्दावली भाग-1 और भाग -2'। 'विज्ञान शब्दावली इंग्लिश - मलयालम भाग - 2' का प्रकाशन 2 अप्रैल 1971 में था। 482 पृष्ठोंवाले इस ग्रंथ में वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक शास्ट्र और जंतुशास्त्र के कुल 19,175 शब्द समाहित हैं। इस ग्रंथ के आधार 'आयोग' द्वारा प्रकाशित 'विज्ञान शब्दावली भाग -3, 4 और 5' हैं। 1970 में प्रकाशित 'मानविकी शब्दावली इंग्लिश - मलयालम भाग -1' में 332 पृष्ठ हैं और इसमें इतिहास, पुरातत्व, राष्ट्रतंत्र आदि के 10,000 शब्द समाहित हैं। आयोग द्वारा 1966 में प्रकाशित 'मानविकी शब्दावली भाग 1' के अंग्रेज़ी - हिन्दी शब्दों को उसी क्रम में रखकर उनके समानांतर मलयालम शब्द इसमें रखे गये हैं। 'मानविकी शब्दावली इंग्लिश - मलयालम भाग - दो' में 458 पृष्ठ हैं और इसमें तत्वशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा, समाज शास्त्र, समाज मनोविज्ञान आदि के शब्द संकलित हैं। 'भाषा शास्त्र शब्दावली' में 91 पृष्ठ हैं और इसमें 'आयोग' द्वारा प्रकाशित 'मानविकी शब्दावली भाग 5' के शब्दों के समानांतर मलयालम शब्द संकलित हैं। 1970 में 'भरण शब्दावली' (प्रशासनिक शब्दावली) और 'वैद्युति शब्दावली' (विद्युत शब्दावली) का प्रकाशन हुआ।

इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर 'वैज्ञानिक तथा तकनिकी शब्दावली आयोग' और 'केरल भाषा इंस्टिट्यूट' ने वैज्ञानिक साहित्य के विकास के क्षेत्र में स्तुत्य सेवा की है।

संपादक
डॉ.पी.लता

भारतीय भाषाओं के बीच सामंजस्य : हिन्दी का दायित्व

• डॉ. एस.तंकमणि अम्मा

भारत की एकता और अखंडता के समर्थक और पोषक तत्वों में भाषा का भी अहम् स्थान रहा है। पहले संपूर्ण देश को जोड़ने का कार्य संस्कृत भाषा करती थी। भारतीय संस्कृति को अपनी समग्रता के साथ उजागर करने की अद्‌भुत क्षमता उस भाषा में विद्यमान थी। वैदिक संस्कृत में विरचित वेद आदि ग्रंथ तथा वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि द्वारा लौकिक संस्कृत में विरचित कालजयी कृतियों का प्रचार और सम्मान समस्त भारतवर्ष में होता था। इन कृती कलाकारों को भारतवासियों ने कभी भी स्थानीय, जातीय या भाषीय घेरे में बांधकर नहीं देखा। उन्हें भारतवासी अपने कवि या साहित्यकार ही मानते आये हैं। संस्कृत ने अपने वर्चस्व का उपयोग समस्त भारत को एक इकाई के रूप में देखने के लिए किया। उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम के भेदभाव की गुंजाइश ही संस्कृत वाङ्मय में नहीं थी। इन कालजयी रचनाओं के विदेशी भाषाओं के अनुवाद ने उन्हें वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठा भी दे दी। यहाँ यह भी विशेष ध्यातव्य है कि कालिदास के 'शाकुंतलम्' नाटक ने ही विख्यात विश्व (जर्मन) साहित्यकार गेय्थे को 'विश्व साहित्य' (वर्ल्ड लिटरेचर) की संकल्पना की प्रेरणा दी थी।

आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्‌भव के उपरांत भारत में अनेक भाषाओं का प्रचलन हो गया। उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें अधिकांश भाषाएँ या तो संस्कृत से विकसित हैं अथवा उससे प्रभावित हैं। आगे चलकर विदेशियों के आगमन पर उनकी भाषाओं का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर पड़ता गया। अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी आदि का प्रस्पष्ट प्रभाव भारतीय भाषाओं पर द्रष्टव्य है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रभाषा हिन्दी की लहरें समूचे भारतवर्ष को आप्लावित कर गईं। स्वातंत्र्योत्तर काल में हिन्दी संघ की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाएँ अपने अपने राज्य की राजभाषाएँ घोषित की गईं। स्वातंत्र्योत्तर काल में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास त्वरित गति से होने लगा।

वस्तुतः पहले समस्त भारत को एकसूत्र में जोड़ने का जो कार्य संस्कृत भाषा करती थी, आज के संदर्भ में वह गुरुभार हिन्दी के कन्धे पर है। भारतीय भाषाओं को जोड़नेवाली प्रभावी कड़ी बनने का दायित्व उसे निभाना है। अन्यान्य भारतीय भाषाएँ क्षेत्रीय भाषाएँ हैं तो हिन्दी को केन्द्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि उसे संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा का गौरव मिला है। भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जानेवाली भाषा के अतिरिक्त पर्यटन, व्यापार, राजनीति, प्रशासन, सूचना-प्रौद्योगिकी आदि की दृष्टि से भी हिन्दी भारत देश की प्रतिनिधि भाषा है। उसका नामकरण ही उसकी प्रातिनिध्य प्रकृति

का व्यंजक है। जब कि अन्य भारतीय भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्रीय नामों से जानी जाती हैं (यथा असम की भाषा असमिया, पंजाब की भाषा पंजाबी, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, कर्णाटक की भाषा कन्नड़, तमिलनाडु की भाषा तमिल, केरल या मलयाळनाटु की भाषा मलयालम) तब हिन्दी तो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़कर जानी नहीं जाती है, हिन्द देश की भाषा के रूप में ही वह जानी जाती है।

भरोपीय, द्रविड़ जैसे विविध भाषा परिवारों की भाषाएँ होने के बावजूद भारतीय भाषाओं के बीच सामंजस्य के कई बिन्दु विद्यमान हैं। भारतीय भाषाओं में लक्षित आपसी सामंजस्य के कारण की खोज करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है – "भारतीय भाषा परिवार, संसार के किसी भी देश, राज्य या राष्ट्र की भाषाओं की अपेक्षा अधिक दीर्घकाल तक साथ-साथ रहते आये हैं। अनेक भाषा विज्ञानी भारत को 'भाषागत इकाई' (लिंग्विस्टिक एरिया) मानते हैं। भाषागत इकाई का अर्थ है एक ही भूखंड में बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण भिन्न भाषा परिवारों ने ऐसी सामान्य विशेषताएँ विकसित की हैं जो भारत के बाहर इन परिवारों से संबद्ध भाषाओं में नहीं मिलती।" ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं के बीच अर्न्तसंबन्धों का होना सहज ही है।

अपनी भगिनी भाषाओं को साथ लेकर चलने का दायित्व हिन्दी का है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास केलिए जो दिशा-निर्देश दिया गया है "संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार केलिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द - ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।" – उसका कार्यान्वयन सफलतापूर्वक संपन्न होगा तो भारतीय भाषाओं सहित हिन्दी का विकास सुगम हो जाएगा।

भाषाई स्तर पर सामंजस्य

भारतीय भाषाओं में ध्वनि और वर्णव्यवस्था, शब्द भण्डार तथा वाक्य रचना के स्तर पर समानताएँ हैं। आधुनिक आर्यभाषाओं तथा द्रविड परिवार की भाषाओं की वर्णमालाओं में स्वर और व्यंजनों का क्रम एक ही है, चाहे उनकी संख्या में अंतर हो। (हिन्दी की अपेक्षा तमिल में व्यंजनों की संख्या कम है तथा मलयालम में ज़्यादा है।) फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला लगभग एक ही है। किन्तु लिपियाँ भिन्न-भिन्न हैं।

भारतीय भाषाओं में सामंजस्य का अगला बिंदु उनके शब्द भण्डार में निहित है। संस्कृत के कई तत्सम और तद्भव शब्दों को सभी भारतीय भाषाओं ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि आसेतुहिमाचल सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, भूमि, अध्यक्ष जैसे शब्द समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पेट्रोल, डीज़ल, पेनसिल, होटेल, हाईस्कूल जैसे अंग्रेज़ी शब्द हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। सरकार, तहसीलदार, पंचायत, वकील जैसे अरबी-फारसी शब्द भी भारतीय भाषाओं में समान अर्थ में प्रयुक्त हैं। कंप्यूटर संबन्धी अनगिनत शब्द सभी भारतीय भाषाओं में प्रचलित हैं।

भारतीय भाषाओं की वाक्य रचना मूलतः

समान है। कश्मीरी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में वाक्य-रचना की प्रवृत्ति समान है। कर्ता, कर्म, क्रिया का क्रम ही इनमें है। (अंग्रेज़ी की प्रवृत्ति तो इससे भिन्न है) वाक्य-संरचना की यह प्रवृत्ति भारतीय भाषाओं के अन्तर्संबन्धों को सशक्त करनेवाली कड़ी है।

साहित्य के स्तर पर सामंजस्य

भारतीय भाषाओं में विरचित साहित्य में अंतर्निहित वैचारिक और भावात्मक समानता, भारतीय साहित्य के आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में सक्षम है। काल और देशी परिवेश के प्रभाव के पड़ने के कारण सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य में कई समान प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती हैं। यह देखा जा सकता है कि हिन्दी की भाँति ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी साहित्य की शुरुआत लोकगीतों से ही होती है। भक्ति आन्दोलन का प्रभाव समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य पर लक्षित होता है। उसी प्रकार आधुनिक काल का नवजागरण, स्वच्छन्दतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, उत्तराधुनिक साहित्य, नारी विमर्श, दलित विमर्श, पारिस्थितिकी सब सभी भाषाओं के साहित्य में परिलक्षित होते हैं। "विविध भाषाओं में लिखे जाने पर भी भारतीय साहित्य एक है"– की उक्ति यहाँ सार्थक होती है।

अनुवाद के माध्यम से सामंजस्य

विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में प्रभूत मात्रा में प्रणीत होनेवाला साहित्य मात्र उस भाषा क्षेत्र तक सीमित रह जाता है। भाषा भेद के कारण उसकी पहुँच दूसरे क्षेत्रों में कम ही होती है। ऐसे हाल में विभिन्न भारतीय भाषाओं में विरचित होनेवाले साहित्य के पारस्परिक अनुवाद की बात उभरकर आती है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के अनुवाद के प्रसंग में हिन्दी को केन्द्रीय भाषा की भूमिका निभानी है। यदि किसी प्रांतीय भाषा की कृति हिन्दी में अनूदित होकर आयी तो अन्यान्य भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद आसानी से हो सकता है। आजकल अनुवाद के इस महत्व से साहित्यकार और पाठक दोनों ही अवगत हैं और साहित्यिक अनुवाद के प्रयास हो भी रहे हैं। विश्वविद्यालयी स्तर पर अनुवाद डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम भी अब चालू हैं।

आजकल यह देखा जाता है कि हर भाषा के लेखक अपनी रचना को दूसरी भाषाओं में खासकर हिन्दी में अनूदित होकर देखने के इच्छुक हैं। अन्य भारतीय भाषाओं से जुड़े रहने की यह मानसिकता वस्तुतः वांछनीय है। अनुवाद के माध्यम से हिन्दी तथा अन्यान्य भारतीय भाषाओं में आने पर ही प्रांतीय भाषा की कोई कृति सच्चे अर्थ में भारतीय कृति बन सकती है तथा कृतिकार भारतीय साहित्यकार कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। इस दिशा में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों, साहित्यिक संस्थाओं और शासन को प्रयत्नशील होना चाहिए। हर भारतीय भाषा की उत्कृष्ट कृति का हिन्दी में तथा हिन्दी से उसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद होना है। उसी प्रकार हिन्दी की उत्कृष्ट कृतियों का अनुवाद प्रांतीय भाषाओं में भी होना है। इस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदान से हिन्दी तथा प्रांतीय भाषाओं का साहित्य समृद्ध होगा। भारतीय भाषाओं के आपसी संबन्धों का सूत्र सुदृढ़ भी हो जाएगा।

तुलनात्मक अध्ययन तथा तुलनात्मक अनुसंधान द्वारा सामंजस्य

तुलनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक अनुसंधान भी विविध भारतीय भाषाओं तथा साहित्यों के बीच सेतुबन्धन का महत्वपूर्ण कार्य

निभाते हैं। हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विभागों में इस प्रकार के तुलनात्मक शोध कार्य हुए हैं तथा हो रहे हैं। मलयाळम, तमिल्, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, बंगला, असमिया जैसी भाषाओं के साथ हिन्दी भाषा और साहित्य के विविध पहलुओं के जो अध्ययन और अनुसन्धान संपन्न हुए हैं वे भारतीय भाषाओं के आपसी सम्बन्धों को खोलकर प्रस्तुत करनेवाले हैं। कई विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 'तुलनात्मक अध्ययन' पाठ्यक्रम में आया है।

पत्र-पत्रिका, फिल्म तथा अन्य संचार माध्यमों द्वारा सामंजस्य

पत्र-पत्रिकाएँ, फिल्में तथा अन्य संचार माध्यम भी इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम हैं। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को आम जनता तक पहुँचाने का कार्य ये माध्यम बखूबी कर सकते हैं। हिन्दीतर प्रांतों में, विशेषकर दक्षिण भारत में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में हिन्दी फिल्म तथा फिल्मी गीतों ने अहम् भूमिका निभाई है। केरल के आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित हिन्दी पाठ, हिन्दी वार्ता आदि ने केरल में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया है। अन्यान्य भारतीय भाषा साहित्यों से सम्बन्धित प्रसारण का दायित्व भी उन्हें लेना है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित रामायण, महाभारत आदि पर आधारित धारावाहिकों की अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृति हुई थी। भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों पर धारावाहिक बनाकर उनके प्रसारण से भारतीय भाषाओं को परस्पर जोड़ने और उनके सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रयास ये संचार माध्यम आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में यत्किंचित् प्रयास तो हो रहे हैं किन्तु व्यावसायिक मनोवृत्ति के हावी होने के कारण कोई ठोस कार्य संपन्न नहीं हो पाता।

इस दिशा में ठोस कदम भाषा व साहित्यिक संस्थाएँ, साहित्य अकादमियाँ तथा हिन्दी की स्वैच्छिक संस्थाएँ ही उठा सकती हैं। प्रांतीय संस्थाओं को अपनी मातृभाषाओं के साथ हिन्दी के प्रचार-प्रसार का, तथा केन्द्रीय संस्थाओं को हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार का दायित्व लेना चाहिए। सूचना-प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व और बहुआयामी विकास के इन दिनों सी.डी., डी.वी.डी. वेबसाइट आदि द्वारा भारतीय भाषाओं के अध्ययन को सुगम बनाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं तथा हिन्दी के अन्तर्संबन्ध के बारे में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन यहाँ उल्लेख करने योग्य है : "भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं तथा हिन्दी महानदी। हिन्दी में यदि नदियों का पानी आना बन्द हो जाए तो हिन्दी स्वयं सूख जाएगी और ये नदियाँ भी भरी-पूरी नहीं रह सकेंगी। अतः सभी भारतीय भाषाओं की प्रगति ही हिन्दी की प्रगति है।" भारत की एकता और अखण्ड़ता एक बड़ी सीमा तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्धों पर ही निहित है।

◆ (पूर्व प्रोफेसर और अध्यक्षा, हिन्दी विभाग
केरल विश्वविद्यालय),
मणि मंदिरम्, आनयरा पी.ओ
तिरुवनन्तपुरम-695029, केरल
मो: 9349193272

आंतरिक कारक, बाह्य कारक और कारक चिह्न

• डॉ.एन.सुरेश

विश्व की समस्त भाषाओं में वाक्य-गठन की आधारभूत इकाइयाँ हैं संज्ञा और क्रिया। वैसे ही वाक्य - संरचना के अनिवार्य घटक होते हैं - उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अनिवार्य घटक है कोई संज्ञा या संज्ञा पदबंध, जब कि विधेय का अनिवार्य घटक कोई क्रिया या क्रिया पदबंध होता है और उसके साथ विधेय के अंश के रूप में कोई संज्ञा या संज्ञा पदबंध भी आ सकता है। वाक्य में प्रयुक्त इन संज्ञाओं का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध स्पष्ट होता है, उसे ही 'कारक' कहते हैं और ये संबंध जितने प्रकार के होते हैं उतने कारक अथवा कारकीय संबंध भी होते हैं। भषाओं में, खासकर योगात्मक भाषाओं में इन संबंधों को द्योतित करने केलिए निश्चित चिह्नों का प्रयोग होता है और ये चिह्न किसी भाषा में परसर्गों के रूप में होते हैं तो किसी में प्रत्ययों के रूप में। कभी ये चिह्न प्रकट रूप में प्रयुक्त होते हैं तो कभी अप्रकट अथवा शून्य रूप में।

किसी भाषा के वाक्यों में होनेवाले कारक संबंधों को दो दृष्टियों से स्थापित किया जा सकता है - (1) बाह्य संरचना की दृष्टि से (2) आंतरिक संरचना की दृष्टि से। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि किसी वाक्य में बाह्य संरचना की दृष्टि से जो कारकीय संबंध प्रकट होता है वही संबंध आंतरिक संरचना में भी द्योतित हो। उदाहरण केलिए निम्न वाक्यों को लीजिए - (1) बच्चा दूध पीता है। (2) माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं। (3) बच्चे को दर्द हो रहा है। (4) बच्चे का हाथ दुखता है।

'वाक्य नं. 1' में 'बच्चा', जो वाक्य के उद्देश्य के स्थान पर आया है, बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टियों से सक्रिय कर्ता है और कर्तृ कारक में है जब कि 'वाक्य नं. 2' में वह विधेय का अंश है और आंतरिक दृष्टि से सक्रिय कर्ता होने पर भी बाह्य दृष्टि से कर्म के स्थान पर संप्रदान कारक में है।

वैसे ही 'वाक्य नं. 3' में 'बच्चा' बाह्य संरचना की दृष्टि से उद्देश्य के स्थान पर संप्रदान कारक में है जब कि आंतरिक संरचना की दृष्टि से 'अनुभव कर्ता' अथवा 'भोक्ता' है। 'वाक्य नं. 4' में 'बच्चे का हाथ' पदबंध बाह्य संरचना में उद्देश्य के स्थान पर है और क्रिया 'दुःखता है' के साथ उसका कर्तृ कारक संबंध है, जबकि आंतरिक संरचना में क्रिया के साथ उसका 'अनुभव कर्ता' अथवा 'मोक्ता' संबंध है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बाह्य संरचना में कोई संज्ञा कारक रूप में दिखाई पड़ती है, वह आंतरिक संरचना में अर्थ की दृष्टि से भिन्न कारकों में हो सकती है।

हिन्दी के वैयाकरणों में पंडित कामता प्रसाद गुरु की मान्यता है कि "क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को 'कर्ता कारक' कहते हैं। वे यह

भी बताते हैं कि कर्ता कारक के इस लक्षण में "केवल व्यापार के आश्रय ही का समावेश नहीं होता किंतु स्थिति दर्शक और विकार दर्शक क्रियाओं का भी समावेश हो सकता है। इसके सिवा सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य में कर्म का जो मुख्य रूप होता है उसका भी समावेश इस लक्षण में हो जाता है।"

लेकिन चार्ल्स फिल्मोर (1967) के 'कारक व्याकरण' (Case grammar) के अनुसार कारकीय संबंध भाषा की आंतरिक संरचना से ही संबद्ध है। बाह्य संरचना में कोई संज्ञा जिस कारक रूप में दिखाई पड़ती है, वह आतंरिक संरचना में अर्थ की दृष्टि से भिन्न-भिन्न कारकों में हो सकती है। फिल्मोर के कारक सिद्धांत के आधार पर बी. लक्ष्मीबाई (1973) ने हिन्दी में कारक संबंधों का जो विश्लेषण किया है उसके अनसार 'वाक्य नं. 3' का 'बच्चा' शब्द वाक्य का कर्ता नहीं हो सकता क्योंकि 'दर्द' नामक मानसिक स्थिति या दशा पर 'बच्चे' का कोई नियंत्रण नहीं है या बच्चा यह स्थिति स्वयं पैदा नहीं करता है, बल्कि वह इस स्थिति का केवल अनुभव ही कर सकता है। इसलिए प्रस्तुत वाक्य में 'बच्चा' जो है फिल्मोर के अनुसार आंतरिक संरचना की दृष्टि से कर्तृ कारक में न होकर 'भोक्ता' अथवा 'अनुभवकर्ता' कारक में है। (5) बच्चा रोता है। (6) बच्चा चौंकता है। (7) किताब भेजी जाएगी। (8) पत्ते गिरते हैं। (9) खाना बनता है। सतही तौर पर अथवा बाह्य संरचना की दृष्टि से 5 से 9 तक के वाक्यों में कोई भेद दिखाई नहीं देता है क्योंकि इन पाँचों वाक्यों में एक संज्ञा पद है जो वाक्य का कर्ता है और एक क्रिया पद है।

पर आंतरिक संरचना या अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो केवल 'वाक्य नं. 5' का 'बच्चा' शब्द ही कर्ता हो सकता है, क्योंकि रोने की क्रिया को करने या न करने में बच्चा स्वतंत्र है। 6 स् 9 तक के वाक्यों में क्रमशः 'बच्चा', 'किताब', 'पत्ते' और 'खाना' को आंतरिक संरचना अथवा अर्थ की दृष्टि से 'कर्ता' नहीं माना जा सकता, क्योंकि न चौंकने का कार्य 'बच्चा' स्वतंत्र रूप से कर सकता है और न ही भेजने का कार्य किताब, गिरने का कार्य पत्ते और बनने का कार्य खाना कर सकते हैं।

परंपरागत व्याकरणों के अनुसार 5 से 9 तक के सभी वाक्यों की संरचना समान है, क्योंकि इन सभी वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया शब्द हैं। लेकिन आंतरिक कारक संबंधों पर आधारित लक्ष्मीबाई (1973) के 'कारक सिद्धांत' के अनुसार केवल 'वाक्य नं.5' का 'बच्चा' शब्द ही असली कर्ता है। 'वाक्य नं. 6' का 'बच्चा' शब्द लक्ष्मीबाई के 'कारक सिद्धांत' के अनुसार 'अनुभव कर्ता' अथवा 'भोक्ता' है तथा 'वाक्य नं. 7, 8 और 9' के क्रमशः 'किताब', 'पत्ते' और 'खाना' शब्द 'कर्म कारक' में हैं।

परंपरागत व्याकरणों के अनुसार 'क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े वही 'कर्म' है। इस दृष्टि से 'कर्म' के अंतर्गत प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक दोनों प्रकार के संज्ञा शब्द आ सकते हैं। पर फिल्मोर के 'कारक व्याकरण' में केवल उन्हीं वस्तुओं को 'कर्म' माना गया है जो गतिसूचक क्रियाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होती है और विकारसूचक क्रियाओं में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलती है।

उपर्यक्त विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि कारकीय संबंधों का निर्धारण केवल बाह्य संरचना के आधार पर नहीं किया जा सकता है और न ही उनका द्योतन केवल रूपात्मक स्तर पर परसर्गों या प्रत्ययों द्वारा हो सकता है, बल्कि इनका निर्धारण आंतरिक संरचना के स्तर पर अर्थ की दृष्टि से क्रिया और संज्ञा के बीच के संबंध के आधार पर भी किया जाना होता है।

परंतु भाषा शिक्षण के, विशेषकर अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाह्य संरचना के स्तर पर कारकीय संबंधों के घोतन में कारक चिह्नों (परसर्ग/प्रत्यय) की भूमिका का विशेष परिचय कितना अनिवार्य हो जाता है वह हिन्दी और मलयालम के कारक चिह्नों के व्यतिरेकी विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है।

भाषाओं में, विशेषकर योगात्मक भाषाओं में, प्रत्येक कारक संबंध को सूचित करने केलिए निश्चित परसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पर ऐसी भी स्थिति पाई जाती है कि एक ही कारक संबंध को घोतित करने केलिए एक से अधिक परसर्गों/ प्रत्ययों का प्रयोग हो या एक ही परसर्ग / प्रत्यय से अनेक कारक संबंधों का द्योतन हो।

कारकीय संबंधों का द्योतन हिन्दी में परसर्गों द्वारा तथा मलयालम में मुख्य रूप से प्रत्ययों द्वारा होता है।

हिन्दी और मलयालम के आंतरिक संरचना और अर्थ की दृष्टि से एकदम समान वाक्यों में कारकीय चिह्नों के प्रयोग में जो व्यतिरेक पाया जाता है वह निम्न विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे व्यतिरेक के कारण मलयालम भाषी हिन्दी छात्रों को हिन्दी के अध्ययन में काफी कठिनाइयों का अनुभव होता है और निरंतर अपने हिन्दी भाषण और लेखन में गलतियाँ करने पर मज़बूर हो जाते हैं।

I. कर्ता कारक

(क) शक्तिबोधक सहायक क्रिया के कर्ता के साथ -

हिन्दी में मुख्य क्रिया के साथ जब शक्तिबोधक सहायक क्रिया 'सक' का योग होता है तो वाक्य में उसका कर्ता हमेशा कर्तृकारक में शून्य Ö परसर्ग के साथ प्रयुक्त होता है जब कि मलयालम में इसके बराबर के वाक्य में शक्तिबोधक सहायक क्रिया 'कष़ि' के कर्ता के साथ संप्रदान कारक का प्रत्यय - 'कु' / 'उ' लगता है।

(10)हिं - लड़का हिन्दी पढ़ सकता है।
लड़का (कर्ता) - हिन्दी (कर्म) पढ़ सकता है।
म.- पय्यनु हिन्दी वायिक्कान कष़ियुम
लड़का (संप्र) हिन्दी (कर्म) पढ़ (अनियत) सकता है।

(11) हिं - शीला नहीं आ सकी।
शीला (कर्ता) नहीं आ सकी।
म. - शीलक्कु वरान कष़िञ्ञिल्ला
शीला (संप्र) नहीं आ (अनियत) सकी।

(ख) सकर्मक क्रिया (भूतकालिक रूप) के कर्ता के साथ।

हिन्दी में सकर्मक क्रिया के भूतकालिक रूप में (ला, बोल, भूल को छोड़कर) उसका कर्ता कर्तृकारक में 'न' परसर्ग के साथ आता है, जब कि मलयालम में इसके बराबर वाक्य का कर्ता कर्तृकरक में ही रहता है, पर उसके साथ कर्ताकारक को घोतित करनेवाला कोई चिह्न

नहीं लगता।

(12)हिं - प्रमोद ने एक कविता लिखी।
प्रमोद (कर्ता) एक कविता (कर्म) लिखी।
म.- प्रमोद ओरु कविता एषुति।
प्रमोद (कर्ता) एक कविता (कर्म) लिखी।

(ग) इच्छार्थक सहायक क्रिया-युक्त क्रिया के कर्ता के साथ।

हिन्दी में मुख्य क्रिया के अनियत रूप के साथ जब इच्छार्थक सहायक क्रिया 'चाहिए' का योग होता है, तो उसका कर्ता संप्रदान कारक में 'को' परसर्ग के साथ प्रयुक्त होता है जबकि मलयालम में बराबर संरचना और अर्थवाले वाक्य में मुख्य क्रिया के धातु रूप के साथ इच्छार्थक सहायक क्रिया 'अणम' आती है और उसका कर्ता कर्तृ कारक में ही शून्य प्रत्यय लेता है।

(13)हिं - हम को हिन्दी पढ़नी चाहए।
हम (संप्र) हिन्दी (कर्म) पढ़नी चाहिए।
म.- नम्मल हिन्दी पठिक्कणम।
हम (कर्ता) हिन्दी (कर्म) पढ़नी चाहिए।

(घ) भूतकालिक कृदंतीय विशेषक के कर्ता के साथ।

हिन्दी में कर्म-संज्ञा के विशेषक के रूप में जब भूतकालिक कृदंत प्रयुक्त होता है तो उसका कर्ता 'का' परसर्ग द्वारा चिह्नित होता है। लेकिन मलयालम में इस संदर्भ में कर्तृ-संज्ञा कर्ता कारक में ही अचिह्नित (Ö) रहती है। दोनों भाषाओं की संबद्ध संरचना इसप्रकार है -

हिं - कर्तृसंज्ञा + (संबन्ध) का + भूतकालिक कृदंत + (हो+भूत) + संज्ञा
म.- कर्तृसंज्ञा + (कर्ता) Ö + भूतकालिक कृदंत + संज्ञा

(14) हिं - प्रेमचंद का लिखा (हुआ) उपन्यास।
प्रेमचंद (संबंध) लिखा(भूतकालिक कृदंत) उपन्यास (कर्म)
म.- प्रेमचंद एषुतिय नोवल।
प्रेमचंद (कर्ता) एषुत् (भूतकालिक कृदंत) नोवल (कर्म)

II. 'कर्म कारक'

(क) मिश्र क्रिया के कर्म के साथ

हिन्दी में जब मुख्य क्रिया के रूप में कोई मिश्र क्रिया (संज्ञा + कर) प्रयुक्त होती है तो उसका कर्म कर्मकारक के चिह्न 'को' परसर्ग द्वारा चिह्नित न होकर अन्य परसर्गों - 'का' / 'की' / 'से' / 'पर' द्वारा चिह्नित होता है। पर मलयालम में इसके समतुल्य अर्थवाली संरचना में संबंध क्रिया का कर्म कर्मकारक के प्रत्यय - 'ए' द्वारा चिह्नित होता है। दोनों की संरचना का व्यतिरेक यों स्पष्ट किया जा सकता है -

हिं - कर्म + का/की/से/ पर + क्रिया (संज्ञा + कर)
म. - कर्म + - ए + क्रिया।

(15) हिं- मैं ने आज भी राम की प्रतीक्षा की।
मैं (कर्ता) आज भी राम (संबंध) प्रतीक्षा की।
म. - ञान इन्नुम रामने प्रतीक्षिच्चु।
ञान (कर्ता) इन्नुम रामन (कर्म) प्रतीक्षिच्चु।

(16) हिं.- मैं गुरु का आदर करता हूँ।
मैं (कर्ता) गुरु (संबंध) आदर करता हूँ।
म. - ञान गुरुविने आदरिक्कुन्नु।
ञान (कर्ता) गुरु (कर्म) आदरिक्कुन्नु।

(17) हिं. -मैं उससे प्यार करता हुँ।
मैं (कर्ता) वह (करण) प्यार करता हूँ।
म. - ञान अवने स्नेहिक्कुन्नु।
मैं (कर्ता) अवन (कर्म) स्नेहिक्कुन्नु।

(18) हिं. -तुम उस पर विश्वास करो।
तुम (कर्ता) वह (अधिकरण) विश्वास करो।
म. - नी अवने विश्वसिक्कू।
तुम (कर्ता) वह (कर्म) विश्वास करो।

III. 'करण कारक'

(क) कर्मवाच्य के अर्थ में अकर्मक का सकर्मक क्रियावाली संरचना में -

हिन्दी में इस स्थिति में संज्ञा के साथ करण कारक के चिह्न 'से' के बदले संबंध वाचक का/ की/ के जुड़ता है और कर्मवाच्य अर्थ में क्रिया भूतकालिक कृदंतीय विशेषक के रूप में रहती है जब कि मलयालम में करण कारक के चिह्न 'आल' या 'कोण्टु' का प्रयोग होता है और क्रिया कर्मवाच्य में भूतकालिक कृदंतीय विशेषक के रूप में रहती है।

मलयालम में अगर कारण कारक परसर्ग 'आल' का प्रयोग होता है तो क्रिया भूतकालिक कृदंतीय विशेषक के रूप में ही कर्मवाच्य में रहती है, जैसे - आल 'निर्मिक्क/ चेय्य/ उण्टाक्क पेट्ट, और - 'कोण्टु' का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्तृवाच्य में रहती है, जैसे कोण्टु निर्मिच्च/ उण्टाक्किय/ चेय्ता।

(19) हिं. -सोने की बनी कुरसी।
सोना (संबंध) बन (भूतकालिक कृतंद) कुरसी।
म. - स्वर्णत्ताल निर्मिक्कपेट्ट कसेरा।
सोना (करण) बन (भूतकालिक कृदंत) (कर्मवाच्य) कसेरा।

IV. 'संप्रदान कारक'

(क) काल या समय बोधक संज्ञा के साथ

हिन्दी में रात, दिन आदि काल या समय-सूचक संज्ञा शब्द जब क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो उसके साथ संप्रदान का चिह्न - 'को' या अधिकरण का चिह्न 'में' जुड़ता है। लेकिन मलयालम में या तो अधिकरण का चिह्न 'इल' लगता है या शून्य (ö)।

(20) हिं. - (क) वह आज रात को आएगा।
(ख) वह (कर्ता) आज रात (संप्रदान) आएगा।
म. - अवन इन्नु रात्रि वरुम।
वह (कर्ता) आज रात (ö) आएगा।
(ख) अवन इन्नु रात्रियिल वरुम।
वह (कर्ता) आज रात (अधिकरण) वरुम।

यद्यपि 20 हि. (क) और (ख) दोनों की आर्थी परिधि एक दूसरे के समानंतर है, यानि, दोनों कालबोधक संबंध सूचित करते हैं, फिर भी सूक्ष्म विश्लेषण पर एक अप्रत्यक्ष व्यतिरेक दृष्टिगत होता है। 20 हिं. (क) एक विशिष्ट काल बिंदु,

अर्थात् 'रात्रि' को घोतित करता है, जब कि 20 हिं. (ख) पूरी रात में फैली हुई (काल) अवधि का द्योतक है।

V. संबंध कारक

परंपरागत व्याकरणों में जिस संबंधकारक की चर्चा होती है उसे कारक संबंध नहीं माना जा सकता। क्योंकि कारक संबंध के निर्धारण की जो अनिवार्य शर्त (वाक्य की क्रिया का संबंध संज्ञा से किस प्रकार का संबंध होता है) है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

21. राम का बेटा अब दिल्ली में है।
22. मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है।
23. दिनेश की बेटी की शादी हुई है।
24. मुहम्मद के दो बेटे आगरा में और एक बेटा मैसूर में पढ़ रहे हैं।

21 से 24 तक के हिन्दी वाक्यों में 'का/ के/की/ रा' परसर्गों द्वारा जो संबंध द्यतित होता है वह असल में कारक संबंध नहीं, बल्कि दो संज्ञाओं के बीच का संबंध है। प्रकार्यात्मक स्तर पर का / के/ की, रा/ रे/ री परसर्गयुक्त संज्ञा पदबंध उसके पश्चात आनेवाली संज्ञा का विशेषक मात्र है।

परन्तु हिन्दी और मलयाल में अस्तित्वबोधक क्रियावाले स्वत्वबोधक वाक्यों में स्वत्वीय कारक संबंध स्थापित किया जा सकता है। दोनों भाषाओं में स्वत्वीय संबंध का घोतन अस्तित्वबोधक क्रिया 'हो' (हिन्दी) और 'उण्टु' (मलयालम) से होता है। स्वत्वीय कारक संबंध सूचित करनेवाली अस्तित्वबोधक क्रिया को स्वत्वीय क्रिया कहा जाता है।

स्वत्वीय क्रिया के दो कारक निर्धारित किए गए हैं - (1) स्वामी (2) स्व। 'स्वामी' वह है जो स्वत्व का अधिकार रखता है और 'स्व'वह है जो स्वामी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

हिन्दी और मलयालम में 'स्वामी' कारक के द्योतन केलिए स्वत्वबोधक चिह्न जोड़ा जाता है जबकि 'स्व'अचिह्नित रहता है। हिन्दी में 'स्वामी' कारक के साथ स्वत्व संबंध के घोतन केलिए 'स्वामी' और 'स्व' की आर्थी प्रकृति और उनके परस्वर संबंध की विशेषताओं के अनुसार स्वत्व संबंध के परसर्ग 'के', संप्रदान के परसर्ग 'को', अधिकरण के परसर्ग 'में', संयुक्त परसर्ग 'के पास' तथा संबंधबोधक चिह्न 'का / के/ की' और 'रा / रे/ री' का प्रयोग होता है, जब कि मलयालम में सर्वदा स्वत्वीय कारक के चिह्न के रूप में केवल संप्रदान के प्रत्यय - 'उ'/ 'क्कु' का ही प्रयोग होता है। जैसे -

25. हिं - रमेश के एक बेटा है।
    म. - रमेशनु ओरु पुत्रनुण्टु।
26. हिं. - रमेश के दो बेटे हैं।
    म. - रमेशनु रण्टु पुत्रन्मार उण्टु।
27. हिं. रमेश के एक बेटी है।
    म.- रमेशनु ओरु पुत्री उण्टु।
28. हिं.- रमेश के पास दो नौकर हैं।
    म. - रमेशनु रण्टु वेलक्कार उण्टु।

♦ (पूर्व प्रोफेसर, हिन्दी विभाग)
निदेशक अनुवाद डिप्लोमा कोर्स,
केरल विश्वविद्यालय, कार्यवट्टम्।
फोनः 9349439544

"एकता की जान है, हिन्दी देश की शान है"

• डॉ. शाम्ली एम. एम.

भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है और इससे तहज़ीब का विकास भी होता है। भारत देश विविधताओं का मिश्रण है, इनमें कई भाषाई संस्कृतियों का समावेश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, रीति-रिवाज़, वेश-भूषा, जाति, धर्म एवं क्षेत्र आदि के आधार पर विविधता होते हुए भी हिंदी भाषा ने सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अतः अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से अधिक गूँजता है। पूरे देश की भाषाओं के स्वरूपों, पदों, शैलियों, मुहावरों और वाक्यांशों को आत्मसात करनेवाली भाषा है हिंदी। वास्तव में यह करोड़ों की जनभाषा है, न केवल भारत में वरन् बाहर के देशों में भी। आज दुनिया में सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषाओं में हिन्दी का तीसरा स्थान है। चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ।

किसी भी स्वाधीन देश केलिए, जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का है। जब तक विदेशी भाषा में शासन-कार्य चलता रहेगा, कोई देश सही मायने में स्वतंत्र कहलाने योग्य नहीं रहेगा। प्रजातांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए। शासन-कार्य तो जनता की भाषा में ही चलना चाहिए। देश के भिन्न-भिन्न भागों को एक सूत्र में बांधकर जनता को अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भलीभांति समझाने का कार्य राजभाषा करती है। प्रजातंत्र की सफलता केलिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। विश्व के सभी स्वतंत्र देश और नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकारा है। उनका मनना है कि देश का उत्थान, उनकी अपनी भाषाओं के द्वारा ही सम्पन्न होगा। रूस, जर्मनी, जापान आदि राष्ट्र इसके प्रमाण बने हमारे सामने हैं। भारतीय संविधान सभा भी इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थी। राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जानेवाली और देश के अधिकांश भाग में समझी जानेवाली भाषा हिंदी को ही भारत संघ की राजभाषा का पद दिया।

हिंदी को प्राप्त राजभाषा का सम्मान उसका अधिकार है। महात्मा गाँधी के अनुसार राजभाषा के लिए जिन - जिन लक्षणों की आवश्यकता है, वह हिंदी में ही पायी जाती है -

1. अमलदारों केलिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
3. यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो।
4. राष्ट्र केलिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। उपर्युक्त सभी लक्षणों पर हिंदी भाषा खरी उतरती है। 14 सितंबर सन् 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबध में व्यवस्था की गयी। तब से लेकर प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आज़ादी के बाद विदेशों में हिन्दी केलिए अत्यन्त अनुकूल वातावरण बना। एक कारण तो यह था कि जो देश भारत जैसे महादेश से निकट का संबंध रखना चाहते थे, शायद उनको लगा होगा कि उनकी राष्ट्रभाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा हिंदी को अपनाकर देश के निकट आया जा सकता है। हिंदी आज केवल भारत की ही नहीं अपितु भारत के बाहर म्यांमार, श्रीलंका, मलया, इंडोनेशिया, मॉरीशस, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश, गयाना आदि देशों में भी हिन्दी को जानने तथा बोलनेवाले लोग विद्यमान हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, फीजी, सूरीनाम आदि देशों में भी हिंदी के महत्व को स्वीकार किया गया है। विदेशी विश्व विद्यालयों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी आदि पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगी है। विश्व की सर्वोच्च संस्था है 'संयुक्त राष्ट्र संघ'। विश्व के प्रायः सभी राष्ट्र इसके सदस्य हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग छः आधिकारिक भाषाएँ प्रयुक्त होती हैं: (1) अंग्रेज़ी (2) अरबी (3) चीनी (4) फ्रेंच (5) रूसी और (6) स्पेनिश। अब हमारे मन में सवाल यह उठता है कि हिंदी कब संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनेगी?

राजभाषा हिंदी को जन-जन की भाषा बनाने केलिए 'राजभाषा विभाग' का प्रयास भी होता रहता है। राजभाषा विभाग, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / उपक्रमों / कार्यालयों में राजभाषा से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कराने में अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यह एक कडुवा सच है कि भारत के अधिकांश कार्यालयों में दस्तावेज़ों का निर्माण मूल रूप से अंग्रेज़ी में ही होता है और बाद में उनका अनुवाद हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है। इससे हिंदी अनुवाद की भाषा बन

जाती है। हमारा लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि हिंदी अनुवाद की भाषा से जनभाषा बनें।

किसी भी देश की ताकत उसकी युवा-पीढ़ी है। युवकों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोज़गार की है। दुःख की बात यह है कि आज भी भारत की सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में अंग्रेज़ी भाषा अनिवार्य है। अतः उन्हें लगता है कि नौकरी पाने केलिए अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है। यहाँ से अंग्रेज़ी की ओर उनका झुकाव शुरू होता है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। भूमंडलीकरण के दौर में कम्प्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग के बिना कोई भी भाषा विश्व पटल पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में असमर्थ है। आज भारत की लगभग सभी भाषाओं में वेबसाइट मौजूद है। खुशी की बात यह है कि वर्तमान में इंटरनेट पर हिंदी बढ़ रही है । भले ही इसकी रफ़्तार कम होने पर इसकी रफ़्तार को तेज़ करने की ज़िम्मेदारी हमारी ही है । आज हर सोशल मीडिया जैसे- फेसबुक, ट्वीटर, गूगल प्लस आदि में गूगल इन्पुट या इंडिक के द्वारा कोई भी बिना टाइपिंग ज्ञान के टंकण कर सकते हैं। आज केन्द्र और राज्य सरकार की लगभग नौ हज़ार वेबसाइट हिंदी में है । लगभग एक लाख ब्लॉग हिंदी में है, विकीपीडिया के पास भी हिंदी की सामग्री की भरमार है।

आज पूरी दुनिया डिजिटल आकार ले रही है । देश-दुनिया की तमाम सेवाएँ - सुविधाएँ धीरे-धीरे अब ऑन लाइन होकर अंतर जाल में समा रही है। बिना इंटरनेट के दुनिया की गाड़ी का पहिया चल नहीं सकेगा। इसलिए हमें भी यथार्थ को स्वीकार करते हुए यथार्थ की दुनिया से आभासी दुनिया यानि वर्च्युवल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए दुनिया के साथ कदम ताल करनी होगी। प्रगति के नए सोपानों को छूने केलिए ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र की नई चुनौतियों का सामना करते हुए उनमें तालमेल बनाकर आगे बढ़ाने केलिए सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम स्वरूपों को अपनाना पड़ेगा। हिंदी व भारतीय भाषाओं में इसके लाभ पूरे देश को सुलभ करवाने होंगे। इसकेलिए नए युग की आवश्यकताओं को समझते हुए हिंदी के प्रयोग व प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर अग्रसर होने केलिए दूरदृष्टिपूर्वक दीर्घकालिक कार्य-योजनाओं की ज़रूरत है ।

सहायक ग्रंथ

1. हिंदी के प्रतिमान क्षितिज : डॉ. जोगेन्द्र सिंह
2. हिंदी साहित्य चरित्रं : वी. पी. मुहम्मद कुंजु मेहत्तर
3. प्रयोजनमूलक हिंदी : डॉ. पी. लता
4. प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धान्त और प्रयोग : दंगल झाल्टे ।

♦ सहायक आचार्य
हिन्दी विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज
पालयम, तिरुवनन्तपुरम।
फोन - 9446164053

राजभाषा हिन्दी एवं देवनागरी लिपि का महत्व

• डॉ.धन्या.एल

'हिन्दी' एक सुविकसित परिनिष्ठित भाषा है। सौ से अधिक भाषाओं/बोलियों में विभक्त भारत को एक राष्ट्र बनाने में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजभाषा वह है, जो किसी राष्ट्र में केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा पत्र - व्यवहार व सरकारी कामकाज केलिए प्रयोग में लायी जाती है। 'राजभाषा' एक संवैधानिक शब्द है। यह देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनैतिक - आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है। अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि हिन्दी का राजभाषा के रूप में आंशिक प्रयोग मुगल काल के भी पहले से होता चला आया है। महात्मा गाँधी स्वतंत्रता - संग्राम के सिलसिले में जब बहुभाषा - भाषी भारतीय जनता को स्वतंत्रता का संदेश दे रहे थे तब उन्हें मालूम हुआ कि अगर भारतवासियों के कण्ठों से एक ही भाषा निकली तो वह देश की एकता केलिए सुगम बनेगी और भारत के विवेकी लोग भाषाई एकता केलिए वह भाषा स्वीकार करेंगे। जनता की सामान्य बोलचाल और अशिक्षितों के व्यवहार की भाषा रही हिन्दी को, जो देवनागरी में लिखी जाती है, जब 14 सितंबर 1949 को 'संघ की राजभाषा' का दर्जा दिया गया तो उस दिन निश्चय ही गाँधीजी का सपना पूरा हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की राजभाषा हिन्दी के बारे में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा 'हिन्दी' और लिपि 'देवनागरी' है।

'भाषा' के माध्यम से ही मानव अपने भावों, रे तक पहुँचाने में समर्थ होता है। निरंतरता से 'प्राचीन साहित्य' में हमें उपलब्ध है और 'लिपि' के सब संभव हुआ है। किसी भी द्र और उसके व्यवहार - क्षेत्र को संपन्न बनानेवाला घटक 'लिपि' है।

भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित प्रतीक चिह्नों के माध्यम से लिखित रूप देने का साधन ही 'लिपि' है। अर्थात् भाषा के लिखने का ढंग 'लिपि' है। 'लिपि' मनुष्य द्वारा अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को संप्रेषित करने का दृश्य माध्यम है। किसी भी भाषा को सीखने - सिखाने में सहायक बननेवाला प्रमुख तत्व है उसकी लिपि।

ईसा के अनेक वर्ष पूर्व भारत में लिपि का प्रचार हो चुका था। इसकी सूचना पाणिनी के 'अष्टाध्याय' नामक ग्रन्थ में मिलती है। इस ग्रन्थ से पता चलता है कि बी.सी.500 में भारत में लिपि का प्रचार होता था। भारत में अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं जैसे - देवनागरी, बंगला, तमिल, तेलुगु, वट्टेषुत्तु, गुरुमुखी आदि। इन लिपियों का विकास 'ब्राह्मी लिपि' से हुआ है। ब्राह्मी के नमूने ईसा से 500 वर्ष पूर्व से 350 ईसवीं तक देख सकते हैं। फिर इसकी दो शैलियाँ उत्तरी और दक्षिणी विकसित हो गईं। उत्तरी शैली परवर्ती समय में गुप्त लिपि के नाम से जानने लगी। इसके बाद 'कुटिल लिपि' का विकास हुआ जो छठीं से नवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्रचलित रही। दसवीं शतब्दी में कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार देवनागरी लिपि का प्रारंभ 1000 ईसवीं से माना जाता है। देवनगारी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएँ लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि 'हिन्दी' भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, कोंकणी, संथाली, बोड़ो, भोजपुरी, नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपि है। आज यह लिपि समृद्ध लिपि के रूप में प्रसिद्ध हो गई और इस लिपि को विद्वानों ने आज एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकार किया है। 'देवनागरी' सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी भारत की मानक लिपि है। संविधान में इसे 'राजलिपि' का पद प्रदान किया गया है।

नागरी लिपि की सुन्दरता, वैज्ञानिकता और ऐतिहासिकता ने भारतीय जनमानस को अपनी ओर आकर्षित किया है। साथ ही यह लिपि राष्ट्रीय एकता के साथ - साथ वैश्विक एकता की ओर कदम बढ़ा रही है।

भारत राष्ट्र के हिन्दीतर क्षेत्र को छोड़कर अन्य राज्यों के प्रशासनिक संचालन संबंधी संपूर्ण कार्यों के निष्पादन का दायित्व देवनागरी लिपि में लिखित राजभाषा हिन्दी पर है। देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी भारतीय संविधान में लिखित राजभाषा मात्र न रहकर उसे संपूर्ण भारत की राजभाषा बनाने का दायित्व प्रत्येक भारतीय का है। हिन्दी के प्रति प्रेम राष्ट्रप्रेम है। अतः प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति हिन्दी भाषा और उसकी लिपि का मन ही मन स्वीकार करेंगे।

सहायक ग्रन्थ

1. देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण ; प्रकाशक - केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्र भाषा और देश - प्रो.जे.रामचंद्रन नायर, निहाल प्रकाशन, दिल्ली - 110032
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. पी.लता, आरती प्रकाशन, ई-28, फोरस्ट ऑफीस लेन, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम -14

◆ अतिथि प्राध्यापिका
वी.टी.एम. एन.एस.एस कॉलेज
धनुवच्चपुरम, तिरुवनन्तपुरम, केरल राज्य।
फोन : 9747053497

सामाजिक मीडिया की सहायता से हिन्दी का वैश्वीकरण

• विष्णु आर.एस

वैश्वीकरण ने विगत दो दशकों में भारत जैसे महादेश के समक्ष जो नई चुनौतियाँ खड़ी की है, उनमें सूचना विस्फोट से उत्पन्न हुई अफ़रा-तफ़री और उसे संभालने केलिए संचार माध्यमों के पल-प्रतिपल बदलते रूपों का महत्पूर्ण स्थान है। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाज़ारीकरण है।

भारत दुनिया भर के उत्पाद निर्माताओं केलिए एक बड़ा खरीददार और उपभोक्ता बाज़ार है। आज भारतीयों के पास भी अपने काफी उत्पाद हैं और भारतीय भी उन्हें बदले में दुनिया भर के बाज़ार में उतार रहे हैं। क्योंकि बाज़ार केवल खरीदने की नहीं, बेचने की भी स्थान होता है। इस क्रय-विक्रय की अंतर्राष्ट्रीय वेला में संचार माध्यमों का केन्द्रीय महत्व है, क्योंकि वे ही किसी भी उत्पाद को खरीदने केलिए उपभोक्ता के मन में ललक पैदा करते हैं। यह उत्पाद वस्तु से लेकर विचार तक कुछ भी हो सकता है।

आज के भाषा संकट को इस रूप में देखा जा रहा है कि भारतीय भाषाओं के समक्ष उच्चरित रूप भर बनकर रह जाने का खतरा उपस्थित है, क्योंकि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधुनिक माध्यम दूरदर्शन अपने विज्ञापनों से लेकर करोड़पति बनानेवाले अतिशय-लोकप्रिय कार्यक्रमों तक में हिन्दी में बोलता भर है, लिखता अंग्रेज़ी में ही है। इसके बावजूद यह सच है कि इसी माध्यम के सहारे हिन्दी अखिल भारतीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक विस्तार के नए आयाम छू रही है। विज्ञापनों की भाषा और प्रोमोशन वीडियो की भाषा के रूप में सामने आनेवाली हिन्दी भाषा को युवा वर्ग ने देश भर में अपने सक्रिय भाषाकोष में शामिल कर लिया है। इसे हिन्दी के संदर्भ में मीड़िया की बड़ी देन कही जा सकती है।

समाज के दर्पण के रूप में साहित्य भी तो संचार माध्यम ही है जो सूचनाओं का व्यापक संप्रेषण करता है। वैश्वीकरण ने उन्हें अनेक चैनल ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, ईंटरनेट और वेबसाईट के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के नए अस्त्र-शस्त्र भी मुहैया कराए हैं। फलस्वरूप संचार माध्यमों की त्वरा के अनुरूप भाषा में भी नए शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों और वाक्य संयोजन की विधियों का समावेश हुआ है। इस कारण से हिन्दी भाषा के सामार्थ्य में वृद्धि हुई है। मीड़िया की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर हिन्दी समस्त ज्ञान - विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गयी है। आज व्यवहार क्षेत्र की व्यापकता के कारण मीड़िया के सहारे हिन्दी भाषा की भी संप्रेषणीयता का

बहुमुखी विकास हो रहा है। देखा जाता है कि राष्ट्रीय ही नहीं, विविध अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में हिन्दी आज सब प्रकार के आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने के अपने सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रमाणित कर रही है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में हिन्दी की वास्तविक शक्ति को उभारने में मीड़िया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

साहित्य-लेखन की भाषा आज भी संस्कृतनिष्ठ बनी हुई है तो दूसरी तरफ मीड़िया की भाषा ने जनभाषा का रूप धारण करके व्यापक जन - स्वीकृति प्राप्त की है। समाचार विश्लेषण तक में कोड़ मिश्रित हिन्दी का प्रयोग इसका प्रमुख उदाहरण है। अर्थात् मीडिया के कारण हिन्दी भाषा बड़ी तेज़ी से तत्समता से सरलीकरण की ओर जा रही है। इससे हिन्दी को अखिल भारतीय नहीं, वैश्वीक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। विज्ञापनों से लेकर धारावाहिकों तक के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध क्रिया जा सकता है कि मीड़िया की हिन्दी भाषा अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत की छाया से मुक्त है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है।

रेडियो (श्रव्य माध्यम) में प्रसारित बातें मात्र श्रव्य होने के कारण शब्दों का विन्यास और उच्चारण प्रक्रिया अधिक आकर्षक और प्रभावी रहनी चाहिए। आज भारत में ही नहीं, विश्व भर हिन्दी सिनेमा के दर्शकों की संख्या बढ़ी है। आज 'हिन्दी पत्रकारिता' का स्वरूप बदल गया है। अनेक पत्र-पत्रिकाएँ (मुद्रण माध्यम) यद्यपि विविध कारणों से बंद हुई हैं, परंतु अनेक नई पत्रिकाएँ नए रूप में शुरू भी हुई हैं। डिजिटल टेकनीक और बहुरंगे चित्रों के प्रकाशन की सुविधा ने हिन्दी पत्रकारिता जगत को आमूल परिवर्तित कर दिया है। इसके समान 'रेडियो' तो हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करनेवाला व्यापक माध्यम रहा ही है। प्रसन्नता की बात यह है कि टेलिविज़न बहुत थोड़े समय के भीतर ही हिन्दी - माध्यम बन गया है। 'दूरदर्शन' दृश्य-श्रव्य माध्यम होने के कारण अधिक प्रभावी है। 'इटरनेट' के द्वारा आज ऑनलाइन पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं जो विश्व भर में हिन्दी को विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में समर्थ रही हैं।

इसप्रकार इक्कीसवीं सदी में विविध संचार माध्यमों-मुद्रण माध्यम, इलक्ट्रोणिक माध्यम (श्रव्यमाध्यम, दृश्य-श्रव्य माध्यम), नव इलक्ट्रोणिक माध्यम-के सहारे हिन्दी भाषा विश्व भाषा बन रही है।

सहायक ग्रन्थ

1. जनसंचार और हिन्दी पत्रकारिता, डॉ.अर्जुन तिवारी ; जयभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. प्रोयजनमूलक हिन्दी, डॉ. विनोद गोदरे; वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

♦ शोधार्थी

हिन्दी विभाग, महात्मागाँधी कॉलेज

केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम

फोन - 8907967364

संघर्ष ज़ारी है.....
(राजभाषा के संदर्भ में)

• के.वी. रंजिताराणी

देववाणी की नाभि से निकल 'सिन्ध' से उद्‌भूत हो पुलिनों पर लहलहाते भाषाई पारावारों के मंतव्यों को यथावत् आत्मसात्कर पालि- प्राकृत - अपभ्रंश आदि से संक्रमित हो इसने - खड़ी बोली ने वैयाकरण कामताप्रसाद गुरु के हाथों व्यवस्थित व्याकरण पाया, आचार्य शुक्ल से आदर्श इतिहास रचवाया, समय-समय पर कविवर व साहित्यकारों के रचनाशील करों में ढलकर 'हिन्दी' इस तरह जनमानस की उच्छृंखल भावनाओं की सक्षम वाहिका बनी। बावजूद इसके इसे अपने वजूद से समझौता करना पड़ा, वर्चस्व पर इसके संशय का दृष्टिपात हुआ, अपने ही घर में वह परायी हुई, परोक्षतः दोयम दर्जे की अधिकारिणी हुई। यह प्रताड़ना एवं प्रवंचना का सिलसिला कोई आज की उपज नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही प्रथा है। यूँ तो ज़ुल्मों का खुलासा वाणी के माध्यम से ही संभव है, किन्तु जब वाणी ही ज़ुल्मों की शिकार है, तो इज़हार हो भला किस मुँह से? अपनी ही बिरादरी में वह कभी 'सह राजभाषा', तो कभी परायी भाषा के प्रचार का ज़रिया बनी। फिर भी, वह कभी विक्षुब्ध नहीं हुई। जन-मन पर अपनी शीतल- प्रांजल कल-कल मधुर वाक् रस अजस्र बरसाती रही, बाखुशी वक्त की मार अपने जिस्म पर ढोती रही। इसका प्रमाण है आज इसमें विदेशी शब्दों की ये भरमार!

14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में 'हिन्दी' को संघ की राजभाषा का पद मिला। संविधान के सत्रहवें भाग में अनुच्छेद 343 - 351 तक, अनन्तर अनुच्छेद 120 तथा 210 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। लेकिन संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष बाद भी भारत भर हिन्दी को हम सर्व स्वीकृत सम्मान न दिला पाये। फलस्वरूप 'राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967' निकला गया और घोषणा हुई कि 'जब तक संघ का एक भी राज्य नहीं चाहेगा, तब तक अंग्रेज़ी को हटाया नहीं जाएगा।'

अरे, हमसे तो बेहतर वे थे जिन्होंने सन् 1801 ई में यह घोषणा की कि ऐसा कोई भी सिविल सर्वेंट किसी विश्वास तथा उत्तरदायित्व के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक यह निश्चित न कर लिया जाए कि उसे गवर्नर जनरल द्वारा बनाये गये कानूनों - नियमों तथा हिन्दुस्तानी/खड़ी बोली हिन्दी और उन भाषाओं का ज्ञान है जो उस पद से संबंधित कामकाज

केलिए आवश्यक है। उनको 'हिन्दी' की एहमियत की परख थी, जिससे हम आधुनिक भारतीय वंचित हैं।

"राजभाषा वह भाषा है जो किसी देश में केन्द्रीय, संघीय अथवा प्रादेशिक सरकार द्वारा आपसी पत्र - व्यवहार व सरकारी कामकाज चलाने केलिए प्रयोग में आती हो।"[1] यूँ तो भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में निर्दिष्ट सारी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं, यदि विभिन्न राज्य अपनी - अपनी प्रादेशिक भाषाओं को देश की राज्य भाषा बनाना चाहें तो यह मुमकिन नहीं। समूचे देश को एक सूत्र में बाँधने केलिए कल भी 'एक भाषा' की ज़रूरत थी और आज भी है। अतः नेहरू जी के कथनानुसार 'अखिल भारतीय भाषा कोई हो सकती है तो वह सिर्फ हिन्दी या हिन्दुस्तानी'। सन् 1857 में श्री.केशवचन्द्र सेन जी ने भी लिखा था कि 'हिन्दी' ही आखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्र भाषा बनने योग्य है।' स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी तो आर्य समाजी के लिए हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर दी थी।

आश्चर्य की बात है कि हमारा संविधान पहले - पहल अंग्रेज़ी में तैयार हुआ था। संविधान का ढाँचा विदेश की देन थी या नहीं - यह अलग बात है। आज भी हम विदेशों के कई अभियान, कार्यक्रम इत्यादि अपनाते हैं। लेकिन उसका पूर्ण हिन्दीकरण करके, या फिर उसे भारतीय परिवेश में ढालकर।

भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रतिबिंबित प्रादेशिक भावनाओं ने शासन में त्रिभाषा सूत्र को जन्म दिया। हिन्दी को 'राजभाषा' बनाने का विरोध अंग्रेज़ी को ढाल बनाकर किया गया। याने भले ही अन्य भाषा के हम गुलाम बन जाएँ, पर हमारी कोई अपनी भाषा राजसत्ता पर हुकुम न चला पाये। 1954 ई. में मद्रास के इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में छपी यह खबर ध्यान देने योग्य है, "यह विरोध (हिन्दी के राजभाषा होने के खिलाफ़) केवल दक्षिण तक सीमित नहीं। इस विरोध को समझने में असफल रहने तथा उसके कारणों को दूर न कर सकने से देश की अपार हानि हो सकती है और इससे हमारी अंग्रेज़ी भाषा के प्रति दासता अक्षुण्ण बनी रहेगी।"[2] अर्थात् एक तमिलनाडु ही नहीं था, जो इसका विरोध किया करता था। आज हालात बदल चुके हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से प्रतिवर्ष विविध पाठ्यक्रमों में पास होनेवाले छात्रों की संख्या एवं तमिलनाडु से विविध केन्द्रीय कार्यालयों में नियुक्त होनेवाले हिन्दी पदाधिकारियों की गणना कुछ और ही तथ्य हमारे समक्ष पेश करती हैं।

हमारे राजनेताओं ने एक बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव रखा था कि यहाँ की प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार हो। इसलिए हो सके तो उत्तर भारतीय दक्षिण की भाषा सीखने की कोशिश करें और दक्षिण के लोग उत्तर की। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के रक्षार्थ

उनकी भाषाओं और लिपि के संरक्षण हेतु पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने सुझाव दिया था कि प्रांतों में प्रांतीय भाषा केलिए अलग - अलग विभाग खोले जाएँ ताकि ये दुविधाएँ समाप्त हों जैसे - 'आजकल उत्तर भारत के बहुत से शिक्षित लोग इतना भी नहीं जानते कि वहाँ केवल एक 'मद्रासी भाषा' नहीं चार द्राविड़ भाषाएँ हैं।"[3] वैसे भी "यदि ये भाषाएँ यों ही पिछड़ी रहेंगी तो आधुनिक हिन्दी का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता। साहित्यिक भाषाओं के रूप में जब ये भाषाएँ पूरे तौर से फल - फूल उठेंगी, तभी हिन्दी के जीते - जागते मुहावरों और हर प्रकार से और हर प्रयोजन केलिए बोलचाल के शब्दों का अक्षय भण्डार प्राप्त होगा।"[4] अनुवाद इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयोजनकारी सिद्ध हुआ है। वरना न तो 'ओटक्कुष़ल' के प्रणेता मलयालम कवि श्री. जी. शंकर कुरुप्प जैसे महान कवि को दुनिया पूरी तरह निरख पाती और न ही तकषि़ शिवशंकर पिल्लै के उपन्यास 'चेम्मीन' जैसी महान उपलब्धि का श्रेय भारतीय साहित्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो पाता। ऐसे कितने ही महान साहित्यकारों की रचनाएँ आज हिन्दी में अनूदित होकर अन्य प्रादेशिक व अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रचार पा रही हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है - '....संघ के राजकीय प्रयोजनों केलिए प्रयुक्त होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।' इसका स्पष्टीकरण देते हुए मौलाना आज़ाद जी ने कहा था कि वे अंक असल में हिन्दुस्तान की देन हैं,जो सदियों पहले हमने दुनिया को दिया था, उनको अपनाकर हम अपनी चीज़ वापस ले रहे हैं। बहरहाल हिन्दी का आधुनिकीकरण, मानकीकरण, पारिभाषिक शब्दावली का विस्तार व व्यवहार, व्याकरण में सुधार इत्यादि मात देने योग्य चुनौतियाँ हैं फिर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भूमंडलीकरण की तरह हिन्दी बाज़ार में हिन्दी को अपनाना, विदेशियों में सूचनाओं के अनुसार हिन्दी सीखने की ललक का बढ़ना, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पाठ पढ़ाया जाना, जैसे - मॉरिशस, सूरीनाम, अमरीका आदि, हिन्दी चैनलों व समाचार चैनलों की भरमार वगैरह.... वगैरह... 'संघर्ष को अल्प विराम, यह संदेश देते हैं।'

छः फरवरी सन् 1999 को सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फर्मेशन सिस्टम, इंदौर ने ई - पत्र की सेवा उपलब्ध कराई, 'लीला' ने भारतीय भाषा सीखने की सुविधा दिलाई, सन् 1999 ई. में हिन्दी पोर्टल 'वेब दुनिया डॉट कॉम' प्रचार में आई, 14 मॉर्च 2014 को भारत सरकार ने 'क' क्षेत्र के अधिकारियों को औपचारिकतः ड्रवीट करने, फैसबुक, ब्लॉग इत्यादि द्वारा सूचना देने केलिए हिन्दी को प्राथमिक देने का परिपत्र निकाला। अब उनकी योजनाएँ भी हिन्दी की संज्ञा ली हुई हैं - स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि। प्रधान मंत्री नरेन्द्रमोदी की 'मन की बात' का प्रसारण हिन्दी को और

लोकप्रिय बनाता है। हिन्दी को सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' की परिकल्पना को जनवरी सन् 1975 में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' के सहयोग से नागपुर में मूर्त रूप दिया। तब से लेकर सितंबर 2015 तक दस 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' नई - नई सोच को कार्यन्वित करते हुए विश्व भर के कई केन्द्रों पर सुसंपन्न हुए। भारत सरकार ने हिन्दी में सबसे ज़्यादा कार्य निर्वहण करनेवाले कर्मचारियों केलिए इनाम भी रखे हैं। फिर भी जाने कब हम अपनी हिन्दी को बेटियों की तरह पराया धन समझकर नजरंदाज़ करना छोड़ देंगे। अंग्रेज़ी के संदर्भ को लेकर हम विश्वमानव होने की सफ़ाई देते हैं, वहीं हिन्दी के मामले में कब लघु मानव होना छोड़ देंगे। कब हम जाति, धर्म , प्रांत इत्यादि की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर खुद को सीना तानकर फिर से हिन्दुस्तानी कहना सीखेंगे। जब ऐसा होगा, बेशक हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरह हिन्दी भी बुलांदियों में लहराएगी।

चलो, राष्ट्रभाषा को विश्वभाषा बनाने की पहल करें
ताकि, 'हिन्दी' समूचे राष्ट्रों पर राज करे।
जय हिन्द, जय हिन्दी।

संदर्भ

1. प्रशासन में राजभाषा हिन्दी - डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया, पृ.सं. 9-10
2. हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास - शमशेरसिंह नरूला , पृ.सं. 154
3. वही, पृ.सं. 157
4. वही, पृ.सं. 160

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. व्यावसायिक हिन्दी - डॉ. प्रेमचंद पातंजलि, वाणी प्रकाशन, वर्ष 1997
2. राज भाषा विविधा - डॉ. मणिक मृगेश, वाणी प्रकाशन, वर्ष 1996
3. हिन्दी भाषा अतीत से आज तक - डॉ. विजय अग्रवाल, वाणी प्रकाशन, वर्ष 1996
4. हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास - शमशेरसिंह नरूला, राजकमल प्रकाशन, वर्ष 1957
5. महात्मा गाँधी का संदेश - यू.एस.मोहनराव, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 2 अक्तूबर 1969
6. प्रशासन में राजभाषा हिन्दी - डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया, तक्षशिला प्रकाशन, वर्ष 2001
7. भारतीय भाषाएँ और हिन्दी - ओम प्रकाश केजरीवाल, नेहरू स्मारक, संग्रहालय एवं पुस्तकालय, वर्ष 2003
8. संवाद और हस्ताक्षेप - डॉ. सुनीता खत्री - मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्ष 2015
9. 'राष्ट्रभाषा और देश' - प्रो.जे. रामचन्द्रन नायर, निहाल प्रकाशन, वर्ष 2016

◆ शोधार्थी
सरकारी महिला कॉलेज
वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम, केरल राज्य
फोन - 9744246464

पुस्तक समीक्षा

• वनजा.पी

पुस्तक : **पारिभाषिक शब्द-निर्माण में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की भूमिका (**लेखिका **: डॉ. धन्या.एल,** प्रकाशकः **परिधि पब्लिकेशन्स, तिरुवनन्तपुरम,)।**

डॉ.धन्या.एल द्वारा रचित 'पारिभाषिक शब्द-निर्माण में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की भूमिका' भारत देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आधुनिक युग की वैज्ञानिक उपलब्धियों से लाभान्वित होने केलिए पारिभाषिक शब्द अत्यंत ज़रूरी हैं। सूक्ष्म वैज्ञानिक चिंतन तथा तकनीकी ज्ञान के विकास के साथ ही साथ पारिभाषिक शब्द - निर्माण भी आवश्यक बनता है। पारिभाषिक शब्द एक भाषा में जितने अधिक हैं, वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाएगी। हिन्दी भाषा इस दृष्टि से समृद्ध है।

हिन्दी भाषा के संबंध में अधिक पारिभाषिक शब्द इसलिए आवश्यक हैं कि उसे स्वतंत्र भारत में संघ सरकार की राजभाषा, हिन्दी भाषी राज्यों की 'राज्य भाषा' तथा अन्य कुछ राज्यों की 'सहराज भाषा' आदि पद प्राप्त हुए हैं। यानी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में संवैधानिक कार्यों को निष्पादित करने केलिए हिन्दी भाषा को पारिभाषिक शब्दों से अपने को संपन्न करना आवश्यक है। अतः ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बातों की अभिव्यक्ति केलिए पारिभाषिक शब्दों का अनिवार्य स्थान है। राजभाषा हिन्दी केलिए ज़रूरी पारिभाषिक शब्दों के निर्माण केलिए 27 अप्रैल 1960 में निकले राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सन् 1961 में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की स्थापना हुई। यह आयोग पारिभाषिक शब्द-निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' पर तैयार किया गया डॉ.धन्या.एल का यह ग्रंथ पाँच अध्यायों में विभाजित है। अध्याय इसप्रकार है - पहला - हिन्दी : राष्ट्रभाषा, राजभाषा और प्रयोजनमूलक भाषा, दूसरा - डॉ. दौलत सिंह कोठारी : बहुमुखी व्यक्तित्व, तीसरा - वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोगः स्थापना और उपलब्धियाँ, चौथा - आयोग और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण, पाँचवाँ - पारिभाषिक शब्द : निर्माण की पद्धतियाँ आदि। स्पष्ट है कि लेखिका ने अध्यायों का विभाजन उपयुक्त ढंग से ही किया है। हिन्दी भाषा के

तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
स.कोठारी का सच्चे हिन्दी सेवी
ायोग द्वारा निर्मित पारिभाषिक
ब्द - निर्माण केलिए स्वीकृत
ानकारी देनेवाला यह ग्रंथ हिन्दी
ल की महत्वपूर्ण देन है। भारत
भाषिक शब्दों की आवश्यकता
भाषिक शब्द-निर्माण करनेवाली
निक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' पर यह ग्रंथ तैयार करने का डॉ.धन्या.एल का प्रयास प्रशंसनीय है।

डॉ.धन्या.एल आगे भी नयी - नयी रचनाएँ कर सकें, यही मेरी आशा और प्रार्थना है।

♦ प्रतिभा, टी.सी. 15/1862
फोरेस्ट ऑफिस लेन,
वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम -14
फोन - 8281306473।

सही उत्तर चुनें

डॉ.पी. लता

1. फारसी लिपि में लिखी जानेवाली तथा फारसी के शब्दों की अधिकतावाली खड़ीबोली की काव्य - शैली का नाम क्या है?
   (अ) उर्दू (आ) रेख्ता
   (इ) हिन्दुस्तानी (ई) हिन्दवी
2. 'दक्खिनी' का प्रथम गद्यकार कौन है ?
   (अ) वली औरंगाबादी
   (आ) जोर्ज ग्रियर्सन
   (इ) सैयद ख्वाजा बन्देनवाज़
   (ई) मुहम्मद शरीफ
3. 'रेख्ता' का जनक कौन है?
   (अ) वली औरंगाबादी
   (आ) जोर्ज ग्रियर्सन
   (इ) सैयद ख्वाजा बन्देनवाज़
   (ई) मुहम्मद शरीफ
4. खडीबोली हिन्दी का प्रथम प्रौढ़ ग्रन्थ कौन - सा है?
   (अ) भाषा योग वसिष्ठ
   (आ) पद्मपुराण
   (इ) चंद छंद बरनन की महिमा
   (ई) विष्णु पुराण
5. 'मीराजुल आश्कीन' का रचनाकार कौन है?
   (अ) मुल्ला वजही
   (आ) हुसैनी
   (इ) सैयद ख्वाजा बन्देनवाज़
   (ई) मुहम्मद शरीफ
6. 'भाषा योग वसिष्ठ' का रचनाकार कौन है?
   (अ) पं. दौलतराम जैन
   (आ) मुंशी सदासुख लाल
   (इ) रामप्रसाद निरंजनी
   (ई) लल्लूलाल
7 इंशा अल्लाखां की रचना कौन-सी है?
   (अ) विष्णु पुराण
   (आ) सुखसागर
   (इ) रानी केतकी की कहानी
   (ई) पद्मपुराण
8. फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई?
   (अ) 1800 (आ) 1801
   (इ) 1853 (ई) 1791
9. फोर्ट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी के प्रथम प्रोफसर कौन थे?
   (अ) कैलाशचन्द्र भाटिया
   (आ) लॉर्ड वेलेज़ली
   (इ) लॉर्ड मैकाले
   (ई) जॉन गिलक्राइस्ट
10. प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ?
    (अ) नागपुर (आ) मॉरिश्स
    (इ) सूरीनाम (ई) भोपाल
11. हिन्दी को भारतीय राजभाषा का पद किस दिन प्राप्त हुआ?
    (अ) 02 - 09 - 1949
    (आ) 14 - 09 - 1949
    (इ) 05 - 09 - 1949
    (ई) 22 - 09 - 1949

12. भारतीय संविधान में मान्यता - प्राप्त भाषाएँ कितनी हैं?
(अ) 24 (आ) 18
(इ) 20 (ई) 22

13. 'खेर आयोग' कब रूपायित हुआ?
(अ) 1965 (आ) 1957
(इ) 1950 (ई) 1955

14. संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हुई?
(अ) 343 (आ) 345
(इ) 344 (ई) 346

15. 'राजभाषा अधिनियम' कब पारित हुआ?
(अ) 1955 (आ) 1957
(इ) 1965 (ई) 1963

16. राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है?
(अ) 15 (आ) 16
(इ) 14 (ई) 17

17. क्षेत्र या विषय के अनुकूल भाषा - रूप को क्या कहा जाता है?
(अ) शैली (आ) प्रयुक्ति
(इ) संरचना (ई) भाषा-प्रयोग

18. कार्यालयीन पत्र में Yours faithfully अधोलेख का समानांतर हिन्दी शब्द क्या है?
(अ) आपका (आ) सस्नेह
(इ) सादर (ई) भवदीय

19. 'आपका' का समानांतर अंग्रेज़ी शब्द क्या है ?
(अ) Yours sincerely
(आ) Yours faithfully
(इ) Yours lovingly
(ई) Yours affectionatly

20. 'भाषा' पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है?
(अ) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
(आ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(इ) भारतीय अनुवाद परिषद्
(ई) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

21. 'हिन्दी पत्रकारिता' की जन्मभूमि कहाँ है?
(अ) दिल्ली (आ) कोलकत्ता
(इ) बंगाल (ई) हैदराबाद

22. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' का स्थापना-वर्ष कब है?
(अ) 1955 (आ) 1957
(इ) 1961 (ई) 1960

23. 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(अ) महात्मा गाँधी
(आ) राजेन्द्र प्रसाद
(इ) प्रो. दौलतसिंह कोठारी
(ई) डॉ. विश्वनाथ प्रसाद

24. 'राज्यभाषा' का समानांतर अंग्रेज़ी शब्द क्या है?
(अ) State Language
(आ) National Language
(इ) Official Language
(ई) Co-official Language

25. Noting का समानांतर हिन्दी शब्द क्या है?
(अ) आलेखन (आ) प्ररूपण
(इ) टिप्पण (ई) लेखन

(शेष पृ.सं. 33 में)

दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन और केरल की प्रतिभागिता

• डॉ.पी.लता

सन् 1936 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में नागपुर में संपन्न 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के वार्षिक अधिवेशन के निर्णय के अनुसार हिन्दीतर प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार के कार्य केलिए 4 जुलाई 1936 को स्थापित 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' ने सन् 1973 में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के साकार स्वरूप 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' की आवश्यकता की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया। इसके परिणामस्वरूप 'प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन' सन् 1975 में नागपुर (भारत) में संपन्न हुआ। भारत की हृदय स्थली मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विशाल मंच पर त्रिदिवसीय (10-12 सितंबर, 2015) 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' संपन्न हुआ। अब तक कुल दस विश्व हिन्दी सम्मेलन संपन्न हुए। मध्यप्रदेश राज्य सरकार इस सम्मेलन की मुख्य स्थानीय आयोजक तथ मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान इस सम्मेलन के मुख्य संरक्षक थे। भोपाल स्थिल 'माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय' सम्मेलन की भागीदार संस्था थी। सम्मेलन स्थल को 'माखनलाल चतुर्वेदी नगर' नाम दिया गया था, जो भव्य और आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहाँ करीब साठ हज़ार वर्गफुट का विशाल पंडाल बनाया गया था। सम्मेलन में 29 देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उद्घाटनः- उद्घाटन समारोह 'रामधारीसिंह दिनकर सभागार' में संपन्न हुआ, जो बहुत सुन्दर ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महेश श्रीवास्तव रचित और श्री उमेश तरकसवार के संगीत से तैयार किये गये हिन्दी गान से हुआ।

ख्यमंत्री श्री शिवराज
' में मध्यप्रदेश को
नने पर माननीय
ो धन्यवाद दिया।
प्रदेश को जोड़कर
कहा - "80 साल पहले महात्मा गाँधी ने 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' में हिन्दी की आग जलायी थी। आज गुजरात के निवासी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेश में दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं।" श्री मोदी के हिन्दी प्रेम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा - "विदेशों में भी हिन्दी में भाषण देते हैं। उनके रोम-रोम, सांस और संस्कार में भी हिन्दी है।" मध्यप्रदेश को इस सम्मेलन के आयोजन केलिए उपयुक्त बताते हुए उन्होंने कहा - "महाकवि कालिदास से लेकर मुझे तोड़ लेना

वनमाली' जैसी कविता के जनक राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने यहाँ शब्द-साधना कर हिन्दी को अपना जीवन समर्पित किया है।.... मध्यप्रदेश ने यह भ्रम तोड़ा है कि चिकित्सा और अभियांत्रिकी की पढ़ाई अंग्रेज़ी के बगैर नहीं हो सकती। हमने प्रदेश में पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय चिकित्सा और अभियांत्रिकी के पाठ्यक्रम में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई करा रहा है।"

'सम्मेलन प्रस्तावना' श्रीमती सुषमा स्वराज (माननीय विदेश मंत्री व प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री) ने की। उन्होंने कहा - "पिछले नौ सम्मेलनों की तुलना में इसका स्वरूप काफी बदला है। पहले के सभी सम्मेलन भाषा की जगह साहित्य पर केन्द्रित होते थे, हमने इसे भाषा केन्द्रित बनाया है।" सुषमाजी ने इस पर ज़ोर दिया कि यह सम्मेलन हिन्दी भाषा के संरक्षण में निर्णायक होगा।

'उद्घाटन भाषण' में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी ने अपने हिन्दी शिक्षण के बारे में एक मज़ेदार किस्सा सुनाया - "हम जानते हैं कि हमारे गुजराती लोग कैसी हिन्दी बोलते हैं। लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जब बोलता था तो लोग पूछते थे कि मोदीजी, आपने हिन्दी भाषा सीखी कहाँ से? आप हिन्दी इतनी अच्छी बोलते कैसे हैं?.... मुझे चाय बेचते-बेचते हिन्दी सीखने का अवसर मिल गया। मेरे गाँव में उत्तर प्रदेश के व्यापारी भैंस लेने आया करते थे। दूध देनेवाली भैंसों को वे ट्रेन के डिब्बे में मुंबई ले जाते थे और दूध मुंबई में बेचते थे। जब भैंस दूध देना बंद करती थी, फिर वे गाँव में आकर उन्हें छोड़ जाते थे, उसके अनुबंध में पैसे मिलते थे। ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में भैंसों को लाने-ले जाने का कारोबार चलता रहता था। उस कारोबार को ज़्यादातर करनेवाले लोग उत्तरप्रदेश के हुआ करते थे और मैं उनको चाय बेचने जाता था। उनको गुजराती नहीं आती थी, मुझे हिन्दी जाने बिना चारा नहीं था, तो चाय ने मुझे हिन्दी सिखा दी थी।" अपने मन की बात हिन्दी में प्रकट करने को चाहनेवाले मोदीजी ने भाषण में अपना यह विचार भी प्रकट किया कि "मुझे हिन्दी बोलना नहीं आता तो मैं अपनी बात लोगों तक कैसे पहुँचाया जाता? हिन्दी भाषा की ताकत से ही मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सका हूँ।" "हिन्दी में रेणु को न पढ़ा होता तो पता ही न चलता कि गरीबी क्या है।" विश्व हिन्दी सम्मेलन को लेकर डाक विभाग द्वारा बनाया गया 'डाक टिकट', 'गगनांचल' दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन विशेषांक (प्रकाशक - भारतीय सांस्कृतिक संबन्ध परिषद, नई दिल्ली), 'प्रवासी साहित्य : जोहांसबर्ग से आगे' तथा 'स्मारिका-दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन' (प्रकाशक - विदेश मंत्रालय, भारत सरकार) आदि का लोकार्पण भी मोदीजी ने किया।

उद्घाटन समारोह में वी.के.सिंह (राज्य सरकार, विदेश कार्य मंत्री), डॉ. हर्षवर्धन (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री), रविशंकर प्रसाद (केन्द्र के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री), किरण रिजिजू

(गृह राज्यमंत्री), मृदुला सिन्हा (राज्यपाल, पश्चिम बंगाल), लीलादेवी (शिक्षा मंत्री, मोरीशस), रघुवरदास (मुख्यमंत्री, झारखंड) आदि भी शामिल हुए थे।

समानांतर सत्रः- सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय था - 'हिन्दी जगत्: विस्तार एवं संभावनाएँ'। पाँच अलग-अलग सभागारों - रोनाल्ड स्टुअर्ट मेक्ग्रेगर सभागार, अलेक्सेई पेत्रोविच वरन्निकोव सभागार, विद्यानिवास मिश्र सभागार, कवि प्रदीप सभागार, राजेन्द्र माथुर सभागार आदि - में मुख्य विषय के अंतर्गत 12 उपविषयों में 28 समानांतर सत्र चलाये गये। उपविषय इस प्रकार हैं - गिरमिटिया देशों में हिन्दी, विदेशों में हिन्दी शिक्षण-समस्याएँ और समाधान, विदेशियों केलिए भारत में हिन्दी अध्ययन की सुविधा, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिन्दी, विदेश नीति में हिन्दी, प्रशासन में हिन्दी, विज्ञान क्षेत्र में हिन्दी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी, विधि एवं नयाय क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाएँ, बाल साहित्य में हिन्दी, हिन्दी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता, देश और विदेश में प्रकाशनः समस्याएँ और समाधान, गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी आदि। इन समांतर सत्रों में जो विषय-प्रस्तुतियाँ हुई थीं, उनकी रिपोर्ट समापन सत्र में प्रस्तुत की गयी।

प्रदर्शनियाँः- माखनलाल चतुर्वेदी नगर में चौदह हज़ार फुट विस्तार में दो अलग-अलग पंडाल प्रदर्शनियों केलिए बनाये गये थे। एक प्रदर्शनी का नाम था 'अभिज्ञानम मध्यप्रदेश'। इसका उद्घाटन माननीय मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 सितंबर 2015 बुधवार को किया। उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अन्य कई विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। मध्यप्रदेश के कालजयी साहित्यकारों पर आधारित सचित्र प्रदर्शनी में साहित्यकारों के बारे में काफी जानकारियाँ दी गयी थीं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के पर्यटक स्थलों की जानकारियों से संबन्धित एक विशेष प्रदर्शनी तैयार की थी। कांच के फलकों पर मध्यप्रदेश के विश्व विख्यात स्थानों की प्रतिकृतियों को स्थान विशेष की विशेषताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उकेला गया था। उज्जैन के 'सिंहस्थ कुभ महापर्व' (भारत के चार कुभ पर्वों में एक) का पौराणिक इतिहास भी प्रदर्शित किया गया था।

अगली प्रदर्शनी थी 'हिन्दी कल आज और कल'। महात्मागाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (वर्धा), अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय (भोपाल), एप्पल, गूगल, माइक्रोसोफ्ट, सी डेक, भारत कोश, वेब दनिया (इन्दौर), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (आगरा) आदि संस्थाओं की सहभागिता से 'माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल' ने इसका समन्वय किया था। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ आकर्षण-केन्द्र बन गयीं। 'अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय' की प्रदर्शनी में कुल 415 पृष्ठों में 24 पृष्ठ स्वर्ण जल से लिखा गया पांडुलिपि ग्रथ रखा गया था। इस ग्रंथ में छः चित्र भी स्वर्ण जल से बनाये गये थे। धर्मशास्त्रों और गीता पर लिखे इस ग्रंथ की भाषा

संस्कृत और लिपि देवनागरी है। इसी विश्वविद्यालय ने रसायन शास्त्र पर आधारित चिकित्सा पद्धति को 116 पन्नों में समझानेवाले 'रसेन्द्रचिन्तामणि' नामक पांडुलिपि ग्रंथ भी प्रदर्शित किया था। 'दुष्यंतकुमार स्मारक पांडुलिपि संगहालय, भोपाल' द्वारा संकलित भारतीय साहित्य जगत् की महान विभूतियों (रवीन्द्रनाथ टागोर, रामधारीसिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त आदि) के हस्तालिखित पत्र भी इस प्रदर्शनी के आकर्षण थे।

भ्रमणः- सम्मेलन में देश-विदेश से आये हिन्दी सेवियों केलिए शाम को 'जनजातीय संग्रहालय' तथा 'इंदिरागाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय' में भ्रमण केलिए विशेष प्रबन्ध किया गया था।

अमर ज्योतिः- सम्मेलन स्थल पर मुख्य सभागार के बाहर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने हिन्दी की 'अमर ज्योति' प्रज्वलित की, जो सम्मेलन के तीनों दिन जलती रही।

माखनलाल चतुर्वेदी की आदम-कद प्रतिमा का अनावरणः - दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन केलिए लाल परेड़ मैदान पर बनाये गये माखनलाल चतुर्वेदी नगर में सम्मेलन के पिछले दिन (9 सितंबर 2015 को) विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ओज और उर्जा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा पंडाल में पहुँचनेवालों को आकर्षित करने लायक ही थी।

बोधि वृक्षः- सम्मेलन के हृदय स्थल पर कृत्रिम बरगद का पेड़ और नर्मदा का जल प्रपात आकर्षण के केन्द्र बने थे, जो विख्यात कलाकार जावेद खान द्वारा तैयार किये गये थे। ये कलाकृतियाँ प्राकृतिक वातावरण तथा हिन्दी साहित्यकारों की तपस्या के प्रतीकात्मक रूप में बनायी गयी थीं।

जलपान : जलपान की व्यवस्था दो भोजन कक्षाओं में की गयी थी - प्रतिनिधियों केलिए दुष्यंत कुमार भोजन कक्ष और विशिष्ट अतिथियों केलिए काका साहब कालेलकर भोजन कक्ष।

केरल की प्रतिभागिता : दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन सम्मेलन में अन्य कुछ साहित्यकारों के साथ केरल के महान हिन्दी साहित्यकार डॉ. एन. चन्द्रशेखरन नायर 'विश्व हिन्दी पुरस्कार से सम्मानित हुए। केरल की तीन महिलाओं ने सम्मेलन के दूसरे दिन समानांतर सत्र में आलेख प्रस्तुत किये - डॉ. एस.तंकमणि अम्मा (विषयः गिरमिटिया देशों में हिन्दी - सूरीनाम का विशेष संदर्भ), डॉ.पी.लता (विषय : गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी - केरल का विशेष संदर्भ), डॉ.के. श्रीलता (विषय : गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी - राजभाषा हिन्दी की वर्तमान स्थिति और विकास की दिशाएँ) आदि। डॉ.एस. तंकमणि अम्मा तथा डॉ.एन. चन्द्रशेखरन नायर को दो अन्य सत्रों में बोलने का मौका भी मिला। डॉ.पी.लता तथा डॉ.के.श्रीलता की पुस्तकों का विमोचन सम्मेलन स्थान में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रकाशित पुस्तकें हैं - श्रीकुमारन तंपी की कविताएँ (अनुवादक - डॉ.पी.लता) तथा हिन्दी आलोचना का वर्तमान (डॉ.के. श्रीलता)। तिरुवनन्तपुरम से गयी चारों महिलाओं - डॉ.एस.तंकमणि अम्मा, डॉ.पी.लता, डॉ.के. श्रीलता तथा डॉ.वी.के जयश्री (उप

महाप्रबंधक, एच.एल.एल.लाइफ केयर) ने उद्घाटन समारोह में केरल वस्त्र (ज़रीवाली साड़ी और ब्लाउस) पहनी हुई थी, जो विशेष आकर्षण का हेतु रहा। कुछ पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू भी लिया। केरल के अन्य प्रतिभागी थे - डॉ. रंजित रविशैलम (केरल के हिन्दी कवि; कर्मचारी, एयरफोर्स), श्री.अन्टो पी.डी (अध्यापक, तृशूर), डॉ. प्रिया. एस.नायर (सरकारी कॉलेज, कालिकट), डॉ.हेमा (सरकारी कॉलेज, मलप्पुरम), डॉ.एन.एम. सण्णि (मलबार क्रिस्टियन कॉलेज), डॉ. ई.एम. अन्ना साली (मलबार क्रिस्टियन कॉलेज), सेंट्रल यूनिवर्सिटी (कासरगोड़) के पाँच छात्र तथा दो प्राध्यापिकाएँ आदि। दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में केरल की भागीदारी बड़ी स्तुत्य रही।

सांस्कृतिक कार्यक्रम :- सम्मेलन के पहले तथा दूसरे दिन शाम को भ्रमण के बाद आये प्रतिभागियों के मनोविनोद केलिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दूसरे दिन केरल के कलरिप्पयटु की प्रदर्शनी हुई थी।

समापन समारोह :- समापन समारोह 'रामधारी सिंह दिनकर सभागार' में 12 सितंबर 2015 को अपराह्न 3 बजे सपन्न हुआ। माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कर कमलों से हिन्दी के मनीषी 'विश्व हिन्दी सम्मान' से अलंकृत हुए। मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समापन समारोह में स्वागत भाषण दिया था। समापन वक्तव्य गृहमंत्री ने दिया।

♦ पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्षा,हिन्दी विभाग & सरकारी महिला महाविद्यालय तिरुवनन्तपुरम। फोन :9946253648

(पृ.सं. 28 के आगे)

सही उत्तर

(1) आ, (2) इ (3) अ (4) अ (5) इ (6) इ (7) इ (8) अ (9) ई (10) अ (11) आ (12) ई (13) ई (14) इ (15) ई (16) ई (17) आ (18) ई (19) अ (20) ई (21) आ (22) ई (23) इ (24) अ (25) इ।

श्रद्धांजलियाँ

प्रो.आर. सुकुमारन नायर

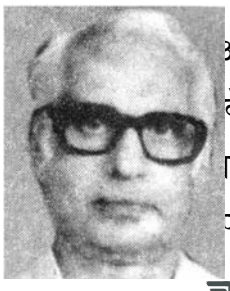

ट्रेनिंग कॉलेज के पूर्व हिन्दी प्रोफसर तथा हिन्दी लेखक पूज्य श्री.आर. सुकुमारन नायर (आलंकोड़, कुटप्पनक्कुन्नु, तिरुवनन्तपुरम) 28 सितंबर 2017 को 89 वर्ष की आयु में अध्यापन कला में आपकी अद्भुत के बेटे स्वर्गीय श्रीकुमार कॉलेज में र्गीय नायर जी को अखिल भारतीय परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

चन्द्रकांत देवताले

साठोत्तर हिन्दी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री चन्द्रकांत देवताले 81 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 2017 को दिवंगत हुए। स्वार्गीय देवताले जी को अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी की वर्तमान स्थिति

• डॉ.के.श्रीलता

हिन्दी के सम्बन्ध में कहते समय राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, राज्यभाषा जैसे बहुत सारे शब्दों का व्यवहार किया जाता है। इस कारण हिन्दी की मुख्य भूमिका के विषय में कहीं-कहीं कुछ भ्रम भी होने लगा है। वस्तुतः ये सारे शब्द हिन्दी के लिए अपने-अपने स्थानों में सही हैं और प्रत्येक का अलगअलग महत्व भी है, किन्तु हिन्दी की मुख्य भूमिका अब प्रशासनिक भाषा या राजभाषा के रूप में ही है।

राजभाषा की वर्तमान स्थिति

भारत के संविधान के अनुसार उसके पारित होने के पन्द्रह साल बाद अर्थात् 1965 से हिन्दी को समग्र भारत की राजभाषा का पद मिल जाना चाहिए था, किन्तु तब तक हिन्दी के प्रतिकूल दो बातें हुईं -एक यह कि एकाध अहिन्दी राज्यों के अनुचित राजनीतिक दबाव में आकर अंग्रेज़ी को सहराजभाषा के रूप में अनिर्दिष्ट काल तक ज़ारी रखने का निर्णय लिया गया और दूसरी बात यह हुई कि राष्ट्र के विविध राज्यों में वहाँ की प्रान्तीय भाषाओं को ही हिन्दी के बदले प्रशासनिक भाषायें मान ली गईं। वहाँ वालों के लिए हिन्दीअंग्रेज़ी के साथ मात्र सहसम्पर्क भाषा रह गई। ऐसे राज्यों में अब राजभाषा या प्रशासन की भाषा तत्तद् प्रान्तीय भाषाएँ ही मानी जाती हैं और हिन्दी केन्द्र सरकार एवं अन्यान्य राज्यों के बीच पत्राचार के लिए अंग्रेज़ी के विकल्प में स्वीकृत एक भाषा मात्र मानी जाती है। उस बात में भी अहिन्दी राज्यों में वस्तुतः हिन्दी की स्थिति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सहसम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेज़ी से काम चलाया तो जा सकता है। ऐसी स्थिति में हिन्दी की कौन पूछे? वास्तव में हिन्दीतर प्रान्तों की -'ग' प्रदेशों की - सरकारों के सारे कामकाज अब भी अंग्रेज़ी में ही चलते हैं। केन्द्र सरकार से पत्र-व्यवहार की बातों के लिए अंग्रेज़ी को प्रयुक्त करने की छूट तो है ही, क्योंकि वह सहसम्पर्क भाषा है। उसकी आड़ में राज्यभाषाओं का स्थान भी अंग्रेज़ी ने ग्रहण कर लिया है। अर्थात् राज्यभाषाएँ केवल कहने के लिए इन राज्य सरकारों की प्रशासनिक भाषाएँ बनी हैं, अंग्रेज़ी को वे हटा नहीं पाई हैं। थोड़े में अहिन्दी प्रान्तों में आज भी अंग्रेज़ी का ही साम्राज्य बना हुआ है। वहाँ किसी भी तल में हिन्दी के प्रयोग की बात नहीं चलती।

केन्द्र सरकार के लिए 'हिन्दी' राजभाषा एवं सहसम्पर्क भाषा दोनों रूपों में है। हिन्दी प्रान्तों के लिए तो इन दो रूपों के साथ हिदी राज्यभाषा अथवा मातृभाषा भी है।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर आजकल काफी ज़ोर दिया जाता है। हिन्दी में प्रशिक्षण देने, परीक्षाएँ चलाने और पुरस्कार

देकर प्रोत्साहित करने की व्यापक चेष्टा केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है। इस कारण इन कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति धीरे-धीरे सुधरती जा रही है, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया, समग्र भारत की हिन्दी विषयक वर्तमान स्थिति यह नहीं है। अहिन्दी प्रान्तों में राजभाषा के रूप में हो या सहसम्पर्क भाषा के रूप में, हिन्दी की पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं।

पता चला है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए और उचित निर्णय लेने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं और उनकी तिमाही बैठकें भी प्रायः आयोजित होती हैं। कार्यालय का अध्यक्ष इस समिति का भी अध्यक्ष होता है और सभी उच्च अधिकारी इसके सदस्य हैं। ये बै कें तभी उपादेय होंगी जब सभी सदस्य अपने अधीन में हुए या हो रहे हिन्दी विषयक काम की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करके उससे सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा करे, परन्तु सुनने में आया है कि ये बै कें केवल नेमी तौर पर की जाती हैं और सदस्यों के सामने कोई समस्या ही प्रस्तुत नहीं होती। वास्तव में प्रत्येक सदस्य को अपने अधीन अनुभागों के हिन्दी प्रयोग से सम्बन्धित स्थिति प्रस्तुत करके उसमें त्वरा लाने के लिए अपेक्षित, सुझाव देने को बाध्य करना चाहिए। तभी वहाँ उपयोगी चर्चा हो सकती है। आजकल हिन्दी अधिकारी जो कि सापेक्षिक दृष्टि से कनिष्ठअधिकारी होता है इन बैठकों का केन्द्र रहता है। वही बै कों का आयोजन करता है, उसके काम के विषय में या समस्याओं के विषय में ही चर्चा होती है। मानो ये बैठकें अकेले उसके लिए ही आयोजित की जाती हों। यह हालत बदलनी चाहिए।

कुछ सुझाव : एक सुझाव यह रखा जा सकता है कि गैर हिन्दी या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के अधिसूचित कार्यालयों (अर्थात् जहाँ 80 से ज़्यादा कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं।) के प्राज्ञ परीक्षा की योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी क्षेत्र या 'क' क्षेत्र में स्थित उन्हीं के कार्यालयों में अथवा ऐसे ही अन्य कार्यालयों में या किन्हीं केन्द्रीय संस्थाओं में कम से कम छः महीने कार्य करने या प्रशिक्षित होने का अवसर दिया जाए। (पर यह अनिवार्य भी न किया जाए। कर्मचारियों की ओर से विरोध करने की कोई नौबत न होने पावे।) ऐसा करने से उनकी हिन्दी सुधर जाएगी और साथसाथ उससे कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने की उनकी हिचक भी दूर हो जाएगी।

इस दिशा में भारत सरकार के विविध मंत्रालयों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वे ज़ारी रहें। वस्तुतः राजभाषा के रूप में हो या संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा सरकारी कार्यालयों में अंग्रेज़ी का अनधिकार प्रभुत्व है। जब तक अंग्रेज़ी की इस जकड़ से हम अपने गले को न छुड़ायेंगे तब तक हिन्दी सच्चे अर्थों में राजभाषा भी न बनेगी, सम्पर्क भाषा भी न बनेगी। अतः इस विषय में हम उदासीन नहीं रह सकते।

यहाँ भारत सरकार को परोक्ष विधि से काम लेना चाहिए। वह राज्य सरकारों पर इस बात पर ज़ोर डाल सकती है कि राज्यों में प्रशासन के कार्यों

केलिए तत्तद राज्य भाषाओं को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया जाय। लोकतंत्र और समाजवाद को चरितार्थ करने केलिए यह कदम अनिवार्य है। इस दिशा में राज्य सरकारों को प्रशिक्षण आदि केलिए आवश्यक कुछ अनुदान भी केन्द्र सरकार दे सकती है। ऐसा करने से राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने का काम भी हो जाएगा और वैसे राजनीतिज्ञों द्वारा हिन्दी के विरुद्ध किए जानेवाले कुछ अनुदार और असत्य आक्षेपों का (कि प्रोत्साहन केवल हिन्दी को ही दिया जा रहा है या हिन्दी का विकास राज्य भाषाओं के विकास को अवरुद्ध करेगा आदि) स्वतः निराकरण भी हो जाएगा। जैसे जैसे राज्य भाषाएँ अहिन्दी राज्यों की प्रशासनिक भाषाएँ बनेंगी वैसे वैसे अंग्रेज़ी की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ऐसा होने पर शीघ्र ही इन राज्यों में हिन्दी संपर्क भाषा का पद लेगी और धीरे - धीरे अंग्रेज़ी का सहसंपर्क भी पूर्णतः तिरोहित हो जाएगा और हिन्दी की उचित भूमिका यथावत् उभरकर सामने आ जाएगी।

इसी ढंग से उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा राज्य भाषाओं को प्रतिष्ठित कराने की दिशा में भी केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर ज़ोर डाल सकती है। अंग्रेज़ी विश्व भाषा है। उसके अध्ययन-अध्यापन का कार्य चलता रहे किन्तु सारे विषयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का जारी रहना कदापि वाँछनीय नहीं है। जब तक इस बात में हम परिवर्तन नहीं करा पाते तब तक हमारी दासता की मनोवृत्ति दूर नहीं होती, इस देश में स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं होता।

भारत सरकार ने राजभाषा विभाग के वित्तीय प्रावधान में विभाग की विभिन्न राजभाषायी योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन केलिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) में 420675 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वर्ष 2012-13 में 82265 करोड़ रुपए, वर्ष 2013-14 में 83120 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2014-15 में 84150 करोड़ रु पए वर्ष 2015-16 में 86160 करोड़ रुपए की राशि आबंटित है। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग केलिए नॉनप्लान में भी प्रतिवर्ष राशि आवंटित की जाती है। वित्त वर्ष 2012-13 में नॉन प्लान के अन्तर्गत 40.61 करोड़ रु पए की राशि आवंटित है। पहले की योजनाओं में भी इसी तरह सैकड़ों करोड़ रुपए प्रशासनिक भाषा केलिए आवंटित किए गए थे। उनमें कई करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे। इस भारी व्यय की तुलना में कितना फायदा हो पाया है, वह बहुत कम है। उसकी जाँच की जानी चाहिए।

विकास की वांछित दिशा

गाँधीजी का दृष्टिकोण : यह बात हमें बराबर ध्यान में रखनी है कि हिन्दी की वास्तविक भूमिका मूलतः राष्ट्रभाषा के रूप में है। हमें यह बात द्विधाहीन भाषा में ज़ोर देकर कहनी भी चाहिए। हमें बताना होगा कि अपने लोकतंत्र एवं समाजवादी स्वप्नों के साक्षात्कार केलिए ही नहीं अपितु राष्ट्र-संस्कृति के साथ राष्ट्रीय अभिमान तथा राष्ट्रीय एकता की परिरक्षा केलिए भी हिन्दी को अखिल भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में स्वीकार करना होगा। हमें बताना होगा कि राष्ट्रपिता ने भारत के उन्नयन के सारे पहलुओं पर

गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना था। बापू ने स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ में ही स्पष्ट देखा था कि भारत की गुलामी मुख्यतः तीन प्रकार की है -राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक। इन तीनों प्रकारों की दासताओं से मुक्ति दिलाने केलिए उन्होंने मुख्यतः तीन प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए थे। सत्याग्रह, असहयोग इत्यादि का उद्देश्य राजनीतिक गुलामी को अन्त करना था, खादी, स्वदेशी व्रत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इत्यादि आर्थिक गुलामी से निस्तार पाने के उद्देश्य से चलाए गए थे। वैसे हरिजनोद्धार और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार मानसिक स्वाधीनता की प्राप्ति को दृष्टि में रखकर चलाए गए थे। अतः जब तक हम हिन्दी को पूर्णत राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार न कर पाएँगे तब तक मानसिक दासता से छुटकारा भी न प्राप्त कर पाएँगे। इस कारण हमें शीघ्र ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद देना होगा और इस दृष्टि से हमें अखिल भारत की संस्कृति की जीवन्त वाहिका के रूप में उसे विकसित करना भी होगा।

मोदी जी का मन्तव्य : हमारे अन्तर्दृष्टि सम्पन्न प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 जुलाई में मध्य एशिया के रूस सहित छः राष्ट्रों का दौरा किया था और वहां के राष्ट्र नायकों के साथ हमारे राष्ट्र के साझे हितों पर कतिपय द्विपक्षीय अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। उनकी यात्रा का प्रथम चरण उसबेस्किस्तान में रहा था। वहाँ के भारतमूल के नागरिकों, विविध विश्वविद्यालयों के हिन्दी के छात्रों और भारत विषयक अनुसंधान करनेवाले शोधार्थियों के सामने उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भाषण भी किया था। उनके भाषण में उन्होंने भाषा विषयक कई मुद्दों की चर्चा की थी। तब उन्होंने कहा था कि विदेशों में रहनेवाले भारतीयों के बीच आपसी सद्भाव, मित्रता एवं भाईचारे को बढ़ावा देनेवाला तत्व एक ही भाषा का व्यवहार करना है उन्होंने बताया कि भाषा संस्कृति की वाहिका है और उसकी भूमिका व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वास्तव में 'राष्ट्रभाषा' शब्द का प्रयोग किए बिना ही उस भाषण में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के महत्वपूर्ण योगदान को ही रेखांकित किया है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा देशप्रेम और राष्ट्र गौरव को बढ़ानेवाला तत्व है, जब कि राजभाषा या प्रशासन हेतु पढ़ी जानेवाली भाषा प्रयोजनमूलक ही होती है। हमें उस भाषा में कार्यसाधक ज्ञान मात्र ही प्राप्त होता है। वह न तो देशप्रेम को उजागर करता है और न संस्कृति के द्वारा व्यक्तित्व का विकास ही करता है। सच्चाई यही है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के पठन-पाठन से हमारे मन में राष्ट्राभिमान ही जागृत नहीं होता, बल्कि हमारी पैतृक संस्कृति के प्रति ममता और आत्मीयता भी विकसित होती है। इसलिए उसको बोलचाल के लिए पढ़ना बहुत ही सीमित क्षेत्र में ही उपदेय होता है। उसके सौन्दर्य और संस्कृति को आत्मसात करने केलिए राष्ट्रभाषा के रू प में ही उसे पढ़ना चाहिए। सचमुच भाषा के प्रति तत्परता और प्रेम के होने से ही भाषा की पढ़ाई भी हो सकती है। इस सत्य से आँखें मूँदकर हिन्दी केलिए कितना व्यय किया जाता है, वह व्यर्थ ही साबित होगा। अतः हमारे प्रधानमंत्री को उपर्युक्त सारे नेत्रबिंदुओं से हिन्दी के विकास की पहल करनी चाहिए। हमें यह भी याद रेखनी चाहिए कि पिछली

शताब्दी के द्वितीय दशक के अन्त और तृतीय दशक के शुरूके सालों में जब साम्यवादी सोवियत संघ रूपायित हुआ तो उसमें सम्मिलित अनेक राज्यों में विविध भाषाएँ चल रही थीं। उनमें मानसिक एकता उत्पन्न करने केलिए एक राष्ट्रभाषा गृहीत नहीं हुई थी । फलस्वरूप उसी शताब्दी के अन्त के पहले ही सोवियत संघ बिखर गया। राष्ट्रभाषा का महत्व यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट करता है।

कर्तव्य कर्म : इस दिशा में हमें कई कार्य करने हैं। एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम अहिंदी प्रांतीय साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को हिन्दी में लाने का व्यापक परिश्रम अविलम्ब शुरूकरें। उससे एक ओर हिन्दी अखिल भारत का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हो जाएगी और दूसरी ओर अन्य भाषाभाषी बुद्धिजीवियों और साहित्यिकों की स्वीकृति और सद्भावना हिन्दी के साथ रहेगी जिसका प्रभाव बड़ा अच्छा निकलेगा। यदि त्रिभाषासूत्र सब कहीं लागू किया जाता तो यह कार्य सरलता से सम्पन्न हो जाता। क्योंकि हिन्दी प्रदेशों में भी गैर हिन्दी प्रदेशों की भाषाओं के अच्छे जानकार हो जाते और उनसे तत्तद् भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद का कार्य कुछ वर्षों के भीतर प्रभूत परिमाण में सम्पन्न हो जाता, किन्तु अब हिन्दी प्रदेशों में त्रिभाषासूत्र का स्वीकृत कराना संभव नहीं दीखता। अतः यह कार्य गैर हिन्दी या अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी विद्वानों द्वारा ही सम्पन्न कराया जाना चाहिए । संप्रति अवस्था यह है कि हिन्दी की श्रेष्ठ कृतियाँ अन्य भाषाओं में थोड़ी-बहुत अनूदित होती ही रहती हैं, किन्तु इन भाषाओं में रचित श्रेष्ठ कृतियाँ हिन्दी में बहुत कम रूपान्तरित की जाती हैं। इसका यही कारण है की अहिन्दी-लेखकों को इस विषय में आवश्यक सुविधा या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी की पुस्तकों के प्रकाशन और विक्रय की कठिनाई ही सबसे बड़ी बाधा है । उनकी कृतियों के प्रकाशन के लिए हिन्दी क्षेत्र के प्रकाशकों का सहयोग परम आवश्यक है जिसे प्राप्त करना बड़ा कठिन भी होता है।

ऐसी अवस्था में यह उचित होगा कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक हिन्दीतर भाषाभाषी राज्य में उपर्युक्त ढंग की (उच्च साहित्यिक और वैज्ञानिक) चुनी हुई श्रेष्ठ कृतियों की सूची तैयार करने और वहाँ वाले वरिष्ठ हिन्दी विद्वानों से अनुवाद कराने के उद्देश्य से एकएक हिन्दी अकादमी या अनुवाद केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें तत्तद् प्रान्तों के अनुभवी हिन्दी विद्वानों की सेवा भी प्राप्त करायी जाय। ऐसे केन्द्रों का काम पाँच या सात वर्षों के लिए योजनाबद्ध भी किया जाय।

इसके अलावा अहिन्दी प्रान्तों के लेखकों द्वारा हिन्दी में मौलिक या अनूदित रूप से रचित ग्रंथों की योग्यता के निर्धारण और प्रकाशन का भार केंद्रीय प्रकाशन विभाग को सौंपा भी जाना चाहिए।

हिन्दी की भूमिका को दृढ़तर करने के लिए और एक सुझाव यह है कि अहिन्दी प्रान्तों और हिन्दी प्रान्तों के स्कूलों तथा कॉलेजों के अध्यापकों को दो-दो सालों के लिए डेप्युटेशन व्यवस्था में अन्यान्य प्रान्तों में जाकर काम करने की सुविधा बनाई जाय। प्रति साल समग्र देश से कम से कम ऐसे पाँच हज़ार अध्यापकों के आदानप्रदान की व्यवस्था

की जाय। इसकेलिए प्रान्तीय सरकारों से परामर्श या सलाह मशविरा करके शिक्षा के नियमों में आवश्यक प्रावधान ही किया जाय। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी के प्रति व्यापक सद्भावना जगाने के साथसाथ राष्ट्रीय एकता की साधना में नया आयाम जोड़ने की दिशा में भी वह कदम बड़ा कारगर सिद्ध होगा। देश की शिक्षा-पद्धति में एकरूपता लाने की दृष्टि से भी यह कार्य बड़ा उपादेय होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से मिलकर इस कार्य में उपयुक्त योजना बनावे।

अंग्रेज़ी माध्यमवाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने देश में दो प्रकार के नागरिकों की सृष्टि करके हमारे लोकतन्त्र को पूर्णतः चरितार्थ होने में बाधा उपस्थित की है। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ी को अपने उचित स्थान पर बिठाने पर अखिल भारतीय स्तर की उच्च परीक्षाओं में हिन्दी या राज्य भाषाओं का माध्यम स्वीकृत हो जाएगा। थोड़े में हिन्दी के प्रति विरोध या विसंवाद के लिए कोई भी रास्ता शेष नहीं रहेगा। इस रीति से हम प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय भाषाओं का पक्ष लेकर अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी के लिए भी अनुकूल परिस्थिति तैयार कर सकते हैं।

♦ (3 ए 4, निकुंजम हेरिटेज, पल्लिमुक्कु,
पेट्टा पी.ओ, तिरुवनन्तपुरम)
प्रोफेसर और अध्यक्षा, हिन्दी विभाग,
श्रीशंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय,
पन्मना कांपस, कोल्लम -691583,
केरल।
फोन - 09497273927

हिन्दी संबन्धी महत् वचन

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।"
"बिन निज भाषा ज्ञान के
मिटत न हिय को सूल।"
"अंग्रेज़ी पढ़कै जदपि सबगुन होत प्रवीण।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।।"

(भारतेन्दु हरिश्चंद्र)

"यदि हम में सत्य के प्रति सम्मान है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल हिन्दी ही वह भाषा है, जिसका हम राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं।"

"मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न तो स्वराज्य का प्रश्न है"

"कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक वह अपने भाषा में नहीं बोलता। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा की हिमायत करनेवाले जनता के दुश्मन हैं।"

"राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।"

(महात्मा गाँधी)

"हम जिस भाषा को अखिल भारतीय भाषा बनाना चाहते हैं उसे लचीली और संग्राहक ज़रूर होना चाहिए तथा उसने युगों से जो सांस्कृतिक लक्षण प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें कायम रखना चाहिए। यह भाषा असल में जनता की भाषा होनी चाहिए न कि विद्वानों के एक छोटे-से गुट की। "

(पं. जवहरलाल नेहरू)

"यह सच है कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नए विचार उससे पैदा नहीं होते, नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही निकल सकते हैं। इसलिए हमें भारत की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है और हिन्दी का तो एक विशेष स्थान है ही। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत के सभी लोग अगर हिन्दी बोल न सकें तो कम से कम समझ तो सकें।"

"इतने बड़े देश में जहाँ इतनी भाषाएँ हैं वहाँ देश की एकता केलिए आवश्यक है कि कोई भाषा ऐसी हो, जिसे सब बोल सकें। इसलिए हिन्दी को बढ़ाना हम सब का काम है।"

"देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने की शक्ति केवल हिन्दी में है।"

"हिन्दी देश की एकता की कड़ी है, जिसे मज़बूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।"

(श्रीमती इन्दिरा गाँधी)

"यह देश बहुत विशाल है। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएँ फैली हुई हैं। इनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच पर्याप्त सम्पर्क हुआ है। इसलिए वहाँ भाषा की कठिनाई उतनी नहीं अखरती। लेकिन, अगर कोई भाषा न जानता हो, तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जयेगा। भाषा-भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़ी बाधा है।" **(राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर)**

"हिन्दी प्रचार का कार्य दूरदर्शितापूर्ण है। इसका परिणाम आगे निकलेगा।' **(सुभाषचन्द्र बोस)**

"यदि भाषा एक न होने पर भारत वर्ष में एकता न हो तो इसका उपाय क्या है? समस्त भारत वर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत वर्ष में जितनी भाषाएँ प्रचलित हैं, उनमें हिन्दी भाषा प्रायः सर्वत्र प्रचलितहै। इस हिन्दी भाषा को यदि भारत वर्ष की एकमात्र भाषा बनायी जाए तो अनायास ही यहाँ एकता संपन्न हो सकती है।" **(श्री. केशवचन्द्र सेन)**

"हिन्दी में कार्य करने का अर्थ है सामान्य आदमी से जुड़ना, जो जनता की रीढ है। यह सामंजस्य एवं संस्कृति की भाषा है।"

"हिन्दी सब को साथ लेकर चलनेवाली भाषा है। इसका संस्कार बड़े परिवार का संस्कार है। हिन्दी केवल राजभाषा नहीं, बल्कि आकांक्षाओं की भाषा है। इसमें अपनापन है। हिन्दी को राजाज्ञा की भाषा मानकर नहीं, बल्कि मानवीय भाषा मानकर सरकारी कामकाज एवं दैनिक व्यवहार में लाना चाहिए।" **(विद्यानिवास मिश्र)**

सूचना

NET (हिन्दी) तथा Spoken Hindi
की कक्षाओं में प्रवेश पाने को
इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें -
फोन : 9946253648, 0471 - 2332468

मलयाळम् और हिन्दी : भाषिक एवं साहित्यिक-सांस्कृतिक समानताएँ

• डॉ एस.तंकमणि अम्मा

विश्व के दो भिन्न भाषा परिवारों की भाषाएँ होते हुए भी मलयाळम और हिन्दी में भाषिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर अद्‌भुत समानताएँ परिलक्षित होती हैं। मलयाळम भाषा द्राविड परिवार के अंतर्गत आती है तथा हिन्दी भारोपीय परिवार के अंतर्गत। मलयाळम क्षेत्र विशेष (केरल) की भाषा है तो हिन्दी भारत के विशाल भूभाग की भाषा है। इनका नामकरण ही उनकी प्रातिनिध्य प्रकृति का व्यंजक है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देशी में भाषाएँ जहाँ अपने अपने क्षेत्रीय नामों से जानी जाती हैं यथा - कश्मीर की कश्मीरी, असम की असमिया, पंजाब की पंजाबी, कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल, केरल या मलयाळनाट् की मलयाळम्, वहाँ हिन्दी तो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़कर जानी नहीं जाती है, हिन्द देश की भाषा के रूप में ही वह जानी जाती है।

मलयाळम भाषा

भारत के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित छोटे-से प्रांत केरल की मुख्य भाषा है मलयाळम। द्रविड परिवार की चार मुख्य भाषाओं - तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयाळम - में इसकी गणना है। माना जाता है कि 'मला' (पर्वत) और 'अळम्' (सागर) शब्दों के योग से 'मलयाळम' शब्द बना है। सह्य पर्वत तथा अरब सागर के बीच में स्थित प्रदेश होने के कारण इस प्रदेश का नाम मलयाळनाटु पड़ा है। एक मत ऐसा भी प्रचलित है कि 'मला' और 'अळं' (प्रदेश) ये दो शब्द मिलकर 'मलयाळम' बना है। पहले यह शब्द देशवाची था, बाद में भाषावाची बना।

मलयाळम भाषा की उत्पत्ति

मलयाळम भाषा की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतया चार मत प्रचलित हैं - (1) संस्कृत से उद्‌भूत (2) तमिल से उद्‌भूत (3) संस्कृत और तमिल के मेल से उद्‌भूत तथा (4) मूल द्रविड से उद्‌भूत स्वतंत्र भाषा। पांडितों ने भाषावैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रथम तीन मतों को निराधार सिद्ध कर दिया है। अधिकांश पंडितों की राय में मलयाळम मूल द्रविड़ से उद्‌भूत स्वतंत्र भाषा है। यह मानना समीचीन लगता है कि मलयाळम मूल द्रविड से उद्‌भूत होकर केरल के निजी परिवेश में रूपायित और विकासप्राप्त एक स्वतंत्र भाषा है। मलयाळम के राष्ट्रकवि वल्लत्तोल नारायण मेनन ने अपनी भाषा का यशोगान यों किया हैं -

"संस्कृत भाषतन् स्वाभाविकोजस्सुं
साक्षाल् तमिष़िन्टे सौन्दर्यवुं
ओत्तुचेर्न्नुल्लोरु भाषयाणेन् भाषा।"

अर्थात् संस्कृत भाषा की सहज ओजस्विता

तथा तमिल की सुन्दरता से अभिमंडित भाषा ही मेरी भाषा (मलयाळम) है।

हिन्दी

भारतीय भाषाओं में हिन्दी का प्रमुख स्थान है। पहले से ही यह देश की संपर्क भाषा रही थी। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारतीय जनमानस से उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संविधान ने उसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। आगे चलकर विश्वभाषा के रूप में उसका विकास होता गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिन्दी को भी स्थान दिलाने का प्रयास भारत सरकार की ओर से ज़ारी है।

मलयाळम-हिन्दी में समानताएँ: आधारभूत तत्व

विभिन्न भाषा परिवारों की भाषाएँ होने के बावजूद भी दोनों में समानताएँ विद्यमान हैं तो अवश्य ही उसके कतिपय आधारभूत तत्त्व होंगे। ये तत्त्व मुख्यतया दो हैं। प्रथम है भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता के रूप में उद्घोषित 'विविधता में एकता' वाला तत्त्व। 'एक देश एक जनता' की भावना पहले से ही यहाँ विद्यमान थी। भारत का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक आयाम हमेशा ही विस्तृत और गहन रहा है। दूसरा मुख्य आधारभूत तत्त्व है संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य का भारतीय भाषाओं पर पड़ा प्रभाव। हिन्दी तो संस्कृत से उद्भूत भाषा है तथा मलयालम पर संस्कृत का गहरा प्रभाव दृष्टिगत होता है। इन आधारभूत तत्त्वों के परिप्रेक्ष्य में ही मलयालम-हिन्दी की भाषिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समानताओं पर विचिंतन किया जाना है।

भाषिक स्तर पर मलयाळम - हिन्दी की समानताएँ

दो भिन्न भाषा परिवारों की भाषाएँ होने के कारण मलयाळम और हिन्दी भाषा में व्याकरण, लिपि आदि की दृष्टि से पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। किंतु वर्णमाला, शब्द भण्डार, वाक्य रचना आदि के स्तर पर दोनों में समानताएँ भी विद्यमान हैं।

वर्णमाला

मलयाळम और हिन्दी के वर्णमाला क्रम में अद्भुत समानता है। स्वर और व्यंजनों का क्रम मलयाळम और हिन्दी में समान हैं यद्यपि मलयाळम से हिन्दी में पाँच वर्ण अधिक हैं।

मलयाळम के स्वर

അ (अ) ആ (आ) ഇ (इ) ഈ (ई) ഉ (उ) ഊ (ऊ) ഋ (ऋ) എ (ह्रस्व ए) ഏ (दीर्घ ए) ഐ (ह्रस्व ऐ) ഐ (दीर्घ ऐ) ഒ (ह्रस्व ओ) ഓ (दीर्घ ओ) ഔ (दीर्घ औ)

हिन्दी के स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

अनुस्वार 'अं' तथा विसर्ग 'अः' मलयाळम और हिन्दी दोनों में हैं।

मलयाळम में तेरह स्वर हैं

हिन्दी में ग्यारह स्वर हैं।

मलयाळम स्वर वर्णों में 'ए' और 'ओ' के ह्रस्व और दीर्घ दो रूप हैं। हिन्दी में ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण तो होता है किन्तु अलग वर्ण नहीं।

व्यंजन

मलयालम	हिन्दी
ക ഖ ഗ ഘ ങ	क ख ग घ ङ
ച ഛ ജ ഝ ഞ	च छ ज झ ञ
ട ഠ ഡ ഢ ണ	ट ठ ड ढ ण
ത ഥ ദ ധ ന	त थ द ध न
പ ഫ ബ ഭ മ	प फ ब भ म
യ ര ല വ	य र ल व
ശ ഷ സ ഹ	श ष स ह
ള ഴ റ (ळ ष़ ऱ)	

स्पष्ट है 'क' वर्ग से 'प' वर्ग तक के व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन मलयाळम और हिन्दी वर्णमाला में समान हैं। मलयालम में ळ, ष, ऱ वर्ण जो हैं वे हिन्दी में नहीं हैं। यद्यपि 'ळ' हिन्दी वर्णमाला में नहीं है किंतु नागरी लिपि में 'ळ' है। (मराठी में 'ळ' है।

मलयालम और हिन्दी की लिपियाँ

मलयालम की लिपि वट्टेषुत्तु (गोल-लेखन) से विकसित अक्षर लिपि या ग्रंथ लिपि है। हिन्दी की लिपि देवनागरी है। दोनों की लिपियाँ अलग-अलग हैं, तो भी दोनों लिपियों का उद्भव एक ही मूल 'ब्राह्मी' से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से अक्षर लिपि या ग्रंथ लिपि का विकास हुआ है तो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से देवनागरी का विकास हुआ है।

अंक व्यवस्था

मलयाळम भाषा की अपनी अंक व्यवस्था है जो प्राचीन काल में प्रचलित भी थी। हिन्दी की भी अपनी अंक व्यवस्था है। किंतु अब दोनों ही भाषाओं ने भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकृत किया है।

मलयालम	हिन्दी	अंतर्राष्ट्रीय रूप
ഒന്ന്	1 एक	1
രണ്ട്	2 दो	2
മൂന്ന്	3 तीन	3
നാല്	4 चार	4
അഞ്ച്	5 पाँच	5
ആറ്	6 छः	6
ഏഴ്	7 सात	7
എട്ട്	8 आठ	8
ഒൻപത്	9 नौ	9

शब्द-भण्डार

भाषिक स्तर पर मलयाळम और हिन्दी भाषा में समानता बहुधा दोनों भाषाओं के शब्द-भण्डार में द्रष्टव्य है। दोनों भाषाओं ने संस्कृत से प्रचुर मात्रा में शब्द-ग्रहण कर लिया है। संस्कृत के आश्रय तथा उसके प्रभाव में पली इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों का पाना सहज ही है। काका कालेलकर के अनुसार "हिन्दुस्तान की भाषाओं का विकास संस्कृत के द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण में हुआ है। वे संस्कृत की मानस पुत्रियाँ हैं।" भाषा शास्त्रियों के अनुसार मलयाळम में अस्सी प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। उनमें पैंसठ प्रतिशत शब्द मलयालम के अपने शब्दों के समान लोक व्यवहार में हैं। काल्डवेल् के अनुसार "द्रविड़ भाषाओं में अनुपात की दृष्टि से तमिल ने सब से कम संस्कृत शब्द अपनाए हैं तो मलयाळम ने सब से ज़्यादा।" (Comparative Grammar of Dravidan Languages, Dr. Caldwell).

मलयाळम और हिन्दी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रयुक्त कतिपय संस्कृत शब्द निम्न लिखित हैं -

समरूपी और समानार्थी शब्दः

मलयालम	हिन्दी	मलयालम	हिन्दी
अग्नि	अग्नि	कवि	कवि
अतिथि	अतिथि	परीक्षा	परीक्षा
अथवा	अथवा	भूमि	भूमि
इच्छा	इच्छा	माया	माया
ईर्ष्या	ईर्ष्या	भक्ति	भक्ति
उक्ति	उक्ति	विद्या	विद्या
उषा	उषा	संध्या	संध्या
स्त्री	स्त्री	माला	माला

भिन्न रूपी समानार्थी शब्दः

कई संस्कृत शब्दों को मलयाळम और हिन्दी में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ग्रहण किया है।

मलयालम	हिन्दी	मलयालम	हिन्दी
पितावु	पिता	आदर्शम्	आदर्श
मातावु	माता	आरंभम्	आरंभ
कर्तावु	कर्ता	संदेशम्	संदेश
सूर्यन	सूर्य	समुद्रम्	समुद्र
चन्द्रन	चन्द्र	मधुरम्	मधुर
नक्षत्रम्	नक्षत्र	अध्यक्षन	अध्यक्ष
अक्षरम्	अक्षर	आकाशम्	आकाश

समरूपी भिन्नार्थी शब्दः

शब्द	मलयालम में अर्थ	हिन्दी में अर्थ
आलोचना	विचार, चिंतन	समीक्षा
संभावना	भेंट, चंदा	संभव (मुमकिन) होना
पशु	गाय	जानवर
शिक्षा	दंड	पढ़ाई

थोड़े परिवर्तित रूपवाले भिन्नार्थी शब्दः

मलयालम	हिन्दी	मलयालम में अर्थ	हिन्दी में अर्थ
उपन्यासम्	उपन्यास	निबंध, लेख	नोवल्
कल्याणम्	कल्याण	शादी, विवाह	मंगल
सम्मानम्	सम्मान	पुरस्कार	आदर
विज्ञानम्	विज्ञान	ज्ञान	विज्ञान
राष्ट्रीयम्	राष्ट्रीय	राजनीति	राष्ट्र से संबंधित
राज्यम्	राज्य	देश	प्रांत, राज्य
मतम्	मत	धर्म	राय, मत

कई खाद्य पदार्थों व पकवानों के नाम मलयालम और हिन्दी में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं - जैसेः पूड़ी,चपाती, पनीर, इडली, दोशा, वडा, सांबार आदि।

विदेशी शब्द :

बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं जिनका प्रयोग मलयाळम और हिन्दी में बराबर होता है। जैसेः

अरबी - फारसी के शब्द

सरकार, अल्ला, तहसीलदार, हकीम, खजांची, वकील, मुंशी, इनाम, बेजार, पंचायत, जिला, बाकी, उस्ताद, दलाल आदि।

बरफी, जलेबी, बालूशाही, समोसा (जैसे खाद्य पदार्थ)।

तुर्की

बहादुर, बेगम, बीबी, उर्दू, कुली आदि।

पुर्तगाली

अलमारी, बिस्कुट

अंग्रेज़ी

हॉस्पिटल, आर्डर, कांग्रेस, गार्ड, टेलीफ़ोन, डायरी, प्लेटफॉम, बटन, मोटर, पेट्रोल, डीज़ल, मेंबर, होटल आदि।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्यधिक प्रचार ने तत्संबन्धी अनेक विदेशी शब्दों को प्रचलित किया है। कंप्यूटर संबंधी अनगिनत शब्द इस प्रकार मलयाळम और हिन्दी में आये हैं। जैसे - सोफ्टवेयर, हार्डवेयर, माऊस, वेबसाइट, इंटरनेट आदि। कई ऐसे शब्द हैं जो थोड़ी - सी हेर - फेर के साथ मलयाळम और हिन्दी में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं - जैसे :

मलयालम	**हिन्दी**	**मलयालम**	**हिन्दी**
कच्चेरी	कचहरी	उरुमाल	रूमाल
तोप्पि	टोपी	दुपट्टाव	दुपट्टा

व्याकरणिक स्तर पर

हिन्दी में दो ही लिंग हैं - पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मलयाळम में इन दोनों के अलावा नपुंसक लिंग भी है। दोनों भाषाओं में वचन दो प्रकार के हैं - एकवचन और बहुवचन।

मलयालम और हिन्दी में क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो रूप हैं। दोनों भाषाओं में तीन काल हैं - भूत, वर्तमान और भविष्यत्। तीन प्रयोग हैं - 'कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। हिन्दी में कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन बदलता है। किंतु मलयाळम में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। उदाः

लड़का आता है।	अण्कुट्टि वरुन्नु।
लड़की आती है।	पेण्कुट्टि वरुन्नु।
लड़के आते हैं।	आण्कुट्टिकळ् वरुन्नु।
लड़कियाँ आती हैं।	पेण्कुट्टिकळ् वरुन्नु।

भूतकाल में 'ने' का प्रयोग हिन्दी भाषा की अपनी विशेषता है। मलयाळम में ऐसा प्रयोग नहीं होता।

वाक्य - संरचना

मलयाळम और हिन्दी में वाक्य-संरचना मूलतः समान है। कश्मीरी भाषा को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में वाक्य-रचना की प्रवृत्ति समान है। अंग्रेज़ी की प्रवृत्ति भिन्न है। जैसे -

	कर्ता	**कर्म**	**क्रिया**
मलयालम	आण्कुट्टि	वीट्टिल	पोकुन्नु
हिन्दी	लड़का	घर	जाता है।
अंग्रेज़ी	The boy	goes	(to) home

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

मलयाळम और हिन्दी में समानार्थी कई मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिलते हैं। दोनों भाषाओं में संस्कृत, फारसी और अंग्रेज़ी से अनेक मुहावरे आये हैं। यही कारण है कि उनमें शाब्दिक और आर्थिक समानता परिलक्षित होती है।

संस्कृत से आये मुहावरे

हिन्दी	**मलयाळम**
सिंहावलोकन	सिंहावलोकनं
विहंगावलोकन	विहंगावलोकनं

फारसी से आये मुहावरे

फारसी	**मलयाळम**	**हिन्दी**
कमर बस्तन	अरयुं तलयुं मुरुक्कुका	कमर कसना

अंग्रेज़ी से आये मुहावरे

अंग्रेज़ी	मलयाळम	हिन्दी
White elephent	वेळ्ळाना	सफ़ेद हाथी
Cold war	शीतयुद्धं	शीत युद्ध
Black market	करिंचंता	काला बाज़ार

मलयाळम और हिन्दी में कई ऐसे मुहावरे प्रयुक्त होते हैं जो समानार्थी हैं। उदा :

मलयालम	हिन्दी
कण्णुरुट्टुका	आँख तरेरना
दीपाळि कुळिक्कुका	दिवालिया होना
नक्षत्रं एण्णुका	आसमान के तारे गिनना

लोकोक्तियाँ

वस्तुतः लोकोक्तियाँ लोकमानस की सहज अभिव्यक्तियाँ होती हैं। यही कारण है कि भाषा की भिन्नता के बावजूद इनमें भोवों का अद्‌भुत साम्य मिलता है। संस्कृत की कतिपय लोकोक्तियाँ मलयालम और हिन्दी में मूल रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। उदाः

यथा राजा तथा प्रजा।
भिन्न रुचिर्हि लोकः
उदरनिम्मितं बहुकृतवेषं।

फारसी की लोकोक्तियों का प्रभाव मलयाळम और हिन्दी दोनों पर पड़ा है। जैसे -

(1) कोह कन्दन व मूश बरावुर्दन। (फारसी)
खोदा पहाड़ निकली चुहिया। (हिन्दी)
मला पोले वन्नु एलि पोले पोयि (मलयालम)

(2) नीम हकीम खतर - ए - जान। (फारसी)
नाम हकीम खतरे जान। (हिन्दी)
मुरि वैद्यन आळे कोल्लुं। (मलयालम)

समान भाव की असंख्य लोकोक्तियाँ मलयाळम और हिन्दी में उपलब्ध होती हैं। जैसेः

(1) निरकुटं तुळुंपिल्ला। (मलयाळम)
अधजल गगरि छलकत जाय। (हिन्दी)

(2) मूक्किल्ला राज्यत्तु मुरिमूक्कन राजाव्‌।
(मलयालम)
अंधों में काना राजा। (हिन्दी)

(3) विळक्किन्‌ चुवट्टिल इरुट्टो? (मलयालम)
चिराग तले अंधेरा। (हिन्दी)

(4) वितच्चतु कोय्युं। (मलयाळम)
जैसा बोओगे, वैसा काटोगे। (हिन्दी)

(5) तीयुंटेकिले पुकयुळ्ळु। (मलयालम)
जहाँ धुआँ, वहाँ आग। (हिन्दी)

इस प्रकार भाषिक स्तर पर मलयाळम और हिन्दी भाषा में और भी समानताएँ ढूँढी जा सकती हैं।

साहित्यिक - सांस्कृतिक स्तर पर मलयाळम-हिन्दी में समानताएँ

भाषिक स्तर की भांति साहित्यिक स्तर पर भी मलयाळम और हिन्दी में समानताएँ दृष्टिगत होती हैं। दक्षिणी प्रदेशों और हिन्दी प्रदेशों की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियाँ, जीवन - रीतियाँ, आचार - विचार और भाषाँ भिन्न रहीं तो भी एक 'सांस्कृतिक इकाई' के रूप में प्राचीन काल से ही भारत ने अपनी पहचान रखी थी। भारत की जनता सदैव ही एक 'सामूहिक सांस्कृतिक विरासत' से जुड़ी रही है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अपनी समग्रता के साथ उजागर करने की अद्‌भुत क्षमता संस्कृत में विद्यमान थी। वैदिक संस्कृत में विरचित आदि ग्रंथ वेद, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि द्वारा लौकिक

संस्कृत में विरचित 'रामायणं', 'महाभारतं', 'शाकुन्तलं' जैसी कालजयी कृतियों का मौलिक रूप में तथा अनुवादों के रूप में प्रचार समस्त भारतवर्ष में होता था। आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। सारी भारतीय भाषाएँ और साहित्य भारतीय संस्कृति की संवाहिकाएं हैं। खंड-खंड में अखंडता को ही वे दर्शाती हैं। यह सांस्कृतिक चेतना भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में बांध देती है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी ने सही कहा है - "आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है जिसका एक - एक दल प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य - संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी।"

मलयाळम और हिन्दी के आरंभ काल से लेकर अद्यतन काल तक की साहित्य धारा में समानताएँ खूब परिलक्षित होती हैं। मलयाळम और हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर समानता दृष्टिगत होती है। डॉ. राधाकृष्णन ने ठीक ही कहा है कि विविध भाषाओं में लिखे जाने पर भी भारतीय साहित्य एक है। मलयाळम और हिन्दी दोनों में लोकगीतों के साथ ही साहित्य का श्रीगणेश होता है। हिन्दी के समान मलयाळम का प्रारंभिक साहित्य भी चरित काव्य, संदेश काव्य, वीर गीत आदि से निर्मित होता है। मलयालम के प्राचीनतम काव्य रूप 'पाट्टु' (गीत या गान साहित्य) कृतियों में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण 'रामचरितं' है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड की कथा ही प्रस्तुत काव्य का विषय है।

भक्ति आंदोलन ने समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य को आप्लावित कर लिया था। द्रविड़ देश से भक्ति की उत्पत्ति तो ख्यात है -

भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद।
प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप नव खंड।।

निरणं कवि या कण्णश कवि नाम से प्रसिद्ध तीन कवियों में माधव पणिक्कर कृत 'भगवद्गीता' तथा शंकर पणिक्कर कृत 'भारतमाला' ने महाभारत का आधार ग्रहण कर लिया है तो राम पणिक्कर ने 'कण्णशरामायणम्' की रचना रामकथा के आधार पर की है। चेरुश्शेरी द्वारा विरचित 'कृष्णगाथा' का आधार 'भागवत' का दशम स्कन्ध है। कृष्णभक्ति काव्य - प्रणयन में चेरुश्शेरी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास के समकक्ष आते हैं। हिन्दी के रामभक्त कवियों में जो स्थान तुलसीदास का है वह स्थान मलयाळम में तुंचत्त् रामानुजन एषुत्तच्छन का है। 'अध्यात्मरामायणं', 'भारतं', 'भागवतं' आदि एषुत्तच्छन की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। मलयाळम में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा बहानेवाले कवियों में पूंतानम् नंपूतिरि, रामपुरत्तु वारियर आदि भी आते हैं। 'सुदामाचरित' का प्रणयन करके जिस प्रकार हिन्दी काव्य - क्षेत्र में नरोत्तमदास यशस्वी हुए हैं उसी प्रकार मलयाळम में सुदामचरित का आख्यान करके प्रसिद्ध हुए कवि हैं रामपुरत्तु वारियर। उनके द्वारा विरचित कृति का शीर्षक है 'कुचेलवृत्तं वंचिप्पाट्टु' अर्थात् सुदामाचरित - नौकगीत। नौका गीत शैली केरल की अपनी काव्य शैली है।

उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध का नवजागरण भी

लगभग सभी भारतीय भाषाओं में एक साथ आया था। इस दौरान रचित मलयाळम और हिन्दी की कृतियों पर समान रूप से नवजागरण का प्रस्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता-आन्दोलन का प्रभाव भी भारतीय भाषाओं की कृतियों पर दिखाई देता है। इस दौरान देशप्रेम और राष्ट्रीयता का शंखनाद हिन्दी के समान मलयाळम में भी गूँज उठा था। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने हिन्दी में देश प्रेम की कविताएँ लिखीं तो वल्लत्तोल नारायण मेनन, उल्लूर एस.परमेश्वर अय्यर, कुमारन आशान जैसे कवियों ने मलयाळम में देशप्रेम की कविताएँ लिखीं। कथकळि अथवा आट्टक्कथा साहित्य, तुल्लल् साहित्य, वंचिप्पाट्टु अथवा नौकागीत जैसे साहित्य रूप मलयाळम के अपने हैं जिनके समरूप हिन्दी में नहीं मिलते।

गद्य की विविध विधाओं का विकास हिन्दी की भांति मलयाळम में बीसवीं शती की उपलब्धि है। स्वच्छंदतावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता जैसी प्रवृतियाँ दोनों भाषाओं में समानांतर आयीं। 'प्रगतिशील लेखक संघ' के सामानांतर मलयाळम में 'पुरोगमन साहित्य प्रस्थानं' की स्थापना हुई। आपत्काल के दौरान हिन्दी के समानांतर मलयाळम में भी तत्कालीन राजनीतिक विसंगतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद हुई। उत्तर आधुनिकता का प्रभाव भी दोनों के साहित्य पर समान रूप से पड़ा है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, पारिस्थितिक विमर्श जैसे उत्तराधुनिक विमर्शों ने मलयाळम और हिन्दी साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। सूचना - प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास के इन दशकों में मलयाळम और हिन्दी भाषा तथा साहित्य क्षेत्रों ने कंप्यूटर की संभावनाओं का खूब लाभ उठाकर 'साइबर स्पेस' में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

भारतीय भाषाओं के बीच विद्यमान समानताओं को उजागर करने में अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययनों ने महती भूमिका अदा की है। भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद के सेतु के रूप में अनुवाद भारतीय भाषाओं तथा तद्द्वारा भारतीय जनमानस को जोड़ने का प्रयास करता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भाषा तथा साहित्य के विविध पहलुओं और स्तरों पर मलयाळम और हिन्दी भाषा में अनगिनत समानताएँ मौजूद हैं। दो भिन्न भाषा परिवारों की भाषाओं के बीच, जिसमें एक सुदूर दक्षिण की है तथा दूसरी उत्तर की है, इतनी सारी समानताएँ खोजी जा सकती हैं तो कोई संदेह नहीं कि अन्यान्य भारतीय भाषाओं के बीच इससे ज़्यादा समानताएं मौजूद होंगी। ये समानताएं वस्तुतः भारत की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करनेवाली कड़ियाँ हैं।

◆ पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्षा, हिन्दी विभाग
केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम
फोन -9349193272।

राजभाषा हिन्दी के प्रारूपकार (चित्र)

गोपाल स्वामी अय्यंगार (1882 - 1953)

बी.आर.अंबेद्कर (1891 - 1956)

टी.टी.कृष्णनाचारी (1899 - 1974)

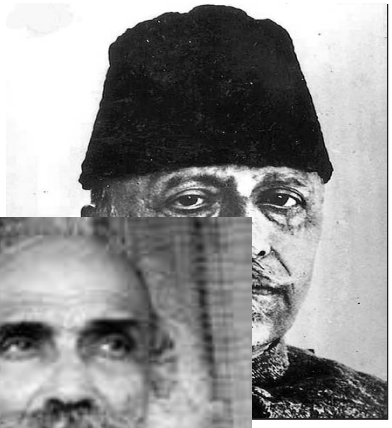

ज़ाद (1888 - 1958)

गोविन्द वल्लभ पंत (1887 - 1961)

पुरुषोत्तमदास टंडन (1882-1962)

पद्मभूषण मोटूरि सत्यनारायण
(1902 - 1995)

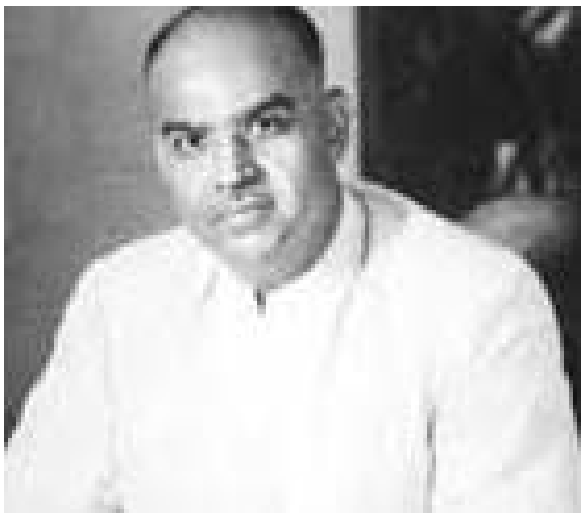

श्यामप्रसाद मुखर्जी
(1901-1953)

पद्मविभूषण बाल गंगाधर खेर (1888 - 1957)
अध्यक्ष, राजाभाषा आयोग - 1955

राजकुमारी अमृत कौर
(1889 - 1964)

मुद्रक, स्वामी तथा प्रकाशक डॉ.पी.लता, आरती, टी.सी. 14/1592, फोरेस्ट ऑफिस लेन, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम -14 द्वारा अबी प्रकाशन एन्ड प्री-प्रेस, करुमम्, तिरुवनन्तपुरम -2 में मुद्रित तथा डॉ.पी.लता द्वारा संपादित।

Printed, owned & Published by Dr.P.Letha, Arathi, T.C. 14/1592, Forest Office Lane, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram -14,
Printed at Abi Design & Pre-Press, Karumom, Thiruvananthapuram -2 & Edited by Dr. P. Letha.